BCCI BULLETIN

Vol. 53 | NOVEMBER 2022 | No. 11

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

बिहार के लोगों को हम रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना चाहते हैं : महासेठ

• जिला अधिकारियों और उप विकास आयुक्तों से निवेश का माहौल बनाने का किया आग्रह • मंत्री ने कहा, बैंक लोन लेने में आ रही दिक्कतों को दूर करने की जरूरत है • उद्योग लगाने के लिए नौ जिलों में प्लग एंड प्ले की सुविधा विकसित की गयी है

बिहार के लोगों को हम रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना चाहते हैं। बिहार उपभोक्ता राज्य से उत्पादक राज्य में तेजी से तब्दील होगा। इस दिशा में सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने यह बातें अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यशाला में कही।

दिनांक 10.11.2022 को अधिवेशन भवन में राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री महासेठ ने कहा कि यदि आप किसी एक व्यक्ति को उद्योग स्थापित करने में मदद करते हैं, तो उसकी एक पीढ़ी नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों पर सकारात्मक असर पड़ता है। जिला अधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों की जिम्मेदारी है कि वह नवउद्यमियों को प्रोत्साहित करें।

उन्होंने कहा कि बैंक लोन लेने में आ रही दिक्कतों को दूर करने की जरूरत है, बिहार के पास बड़ा लैंड बैंक है, हर संसाधन मौजूद है, हमें आत्म-निर्भर भारत के साथ-साथ आत्मनिर्भर बिहार भी बनाना है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौड्रिक ने कहा कि बिहार के सभी इंडस्ट्रियल एरिया का विकास किया जायेगा। उद्योग लगाने के लिए नौ जिलों में प्लग एंड प्ले की सुविधा विकसित की गयी है। इंडस्ट्रियल शेड में बहुत कम मासिक दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित, तकनीकी विकास निदेशालय के निदेशक संजीव कुमार, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के निदेशक आलोक कुमार तथा विशेष सचिव दिलीप कुमार ने भी उद्योग विभाग की योजनाओं के बारे में जरूरी जानकारी दी।

(साभार : प्रभात खबर, 11.11.2022)

राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए राशि की मंजूरी का स्वागत

बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्य के 17 औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए कैबिनेट द्वारा 466 करोड़ की मंजूरी के निर्णय का स्वागत किया है।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ओर उद्योग विभाग के प्रति आभार जताया है। कहा कि राज्य में औद्योगिकीकरण में तेजी के लिए बराबर सरकार से मांग की जा रही थी कि आधारभूत संरचना को और बेहतर बनाया जाए, जिससे उद्यमियों को अपना उद्योग चलाने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

उन्होंने कहा कि 100 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले अनाज आधारित एथनॉल प्लांट की स्थापना के लिए 14131.30 लाख के निजी पूंजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन की सशर्त मंजूरी और वर्तमान एथनॉल इकाई के क्षमता विस्तार के लिए 30 करोड़ 27 लाख के निजी पूंजी निवेश पर प्रोत्साहन की मंजूरी सराहनीय निर्णय है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 10.11.2022)**

प्रदेश में जल्द ही आठ एथनाल कंपनियाँ उत्पादन में आ जाएँगी

पचास फीसद काम पूरा, बिहार में होगा सबसे अधिक उत्पादन

एथनाल उत्पादन के क्षेत्र में जल्द ही बिहार पूरे देश में सबसे अधिक उत्पादन इकाई वाला प्रदेश बन जाएगा। उद्योग विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार जल्द ही आठ नई एथनॉल उत्पादन इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इन आठ कंपनियों के निर्माण का 50 फीसद काम पूरा हो गया है।

इन आठ जगहों पर नई उत्पादन इकाई अस्तित्व में आएंगी

जिन आठ जगहों पर नई एथनॉल उत्पादन इकाई ने अपना 50% काम पूरा कर लिया है, उनमें आधा दर्जन दो जिले में हैं। नालंदा में तीन नई एथनाल उत्पादन इकाई का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी तरह मुजफ्फरपुर में भी तीन नई उत्पादन इकाई जल्द अस्तित्व में आ जाएंगी। इनके अतिरिक्त एक-एक उत्पादन इकाई बक्सर और बेगूसराय में 50% तक बनकर तैयार है।

भोजपुर में दो नई उत्पादन इकाइयाँ बनकर तैयार

भोजपुर में दो नई उत्पादन इकाइयाँ बनकर तैयार हैं। पूर्णिया में एक अत्याधुनिक उत्पादन इकाई ने अपना उत्पादन शुरू कर दिया है। एक अन्य यूनिट भी उत्पादन में है।

बिहार में इस तरह है पेट्रोलियम कंपनी से आवंटन

बिहार में पेट्रोलियम कंपनी ने एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट के बाद जो परिणाम घोषित किया था, उसके तहत 18.50 करोड़ लीटर एथनॉल प्रतिवर्ष पेट्रोलियम कंपनी को क्रय करनी थी। बाद में यह कोटा 35.28 करोड़ लीटर का किया गया।

जिन कंपनियों को एथनॉल की आपूर्ति करनी है, उनमें भारत ऊर्जा डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड, बिहार डिस्टलरीज एंड बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरपुर बायो फ्यूएल्स प्राइवेट लिमिटेड, पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की तीन यूनिट, ईस्टर्न इंडिया बायो फ्यूएल्स प्राइवेट लिमिटेड, नैचुरल्स डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, आदृति एक्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, भारत प्लस एथनाल प्राइवेट लिमिटेड, चंद्रिका पावर प्राइवेट लिमिटेड, वीनसविधान एक्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, न्यूवे होम्स प्राइवेट लिमिटेड, साहू एग्रो बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, सोना सती आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रजेंद्र कुमार बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा माइक्रोमैक्स बायो फ्यूएल्स लिमिटेड शामिल हैं।

(साभार : दैनिक जागरण, 1.11.22)

मोदी 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट :
सभी वर्ग को साधने की चुनौती बरकरार रहेगी

नए बजट में ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस : रोजगार, घर के लिए 50 फीसदी ज्यादा पैसा मिल सकता है

केन्द्र सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों पर खर्च 50 फीसदी बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। 2024 के अप्रैल-मई महीने में संभावित लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र सरकार का न केवल रोजगार बढ़ाने पर जोर है, बल्कि वह किफायती घर

(शेष पृष्ठ-3 पर)

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बंधुओं,

बिहार के 17 औद्योगिक क्षेत्रों के आधारभूत संरचना के विकास हेतु मंत्रीमंडल द्वारा 466 करोड़ की मंजूरी स्वागत योग्य कदम है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उद्योग मंत्री एवं उद्योग विभाग के प्रति मैं आभारी हूँ। **बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज बिहार के औद्योगीकरण में तेजी के लिए आधारभूत संरचना को और बेहतर बनाने की मांग करता रहा है ताकि उद्यमियों को अपना उद्योग चलाने में असुविधा न हो। इस निर्णय से चैम्बर की लंबित मांग की पूर्ति हुई है।**

इसके साथ ही 100 किलो लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु 14131.30 लाख की निजी पूंजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन की सशर्त मंजूरी और वर्तमान इथेनॉल इकाई की क्षमता विस्तार हेतु 30 करोड़ 27 लाख की निजी पूंजी निवेश पर प्रोत्साहन की मंजूरी भी अत्यंत सराहनीय है।

अत्यधिक खुशी की बात है कि राजगीर, गया एवं बोधगया में हर घर गंगा जल पहुँचाने का माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भगीरथ प्रयास सफल रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी का सूबे के अन्य शहरों में भी गंगा जल पहुँचाने की योजना है।

उद्योग जगत की जानी मानी हस्ती Steel Man of India पदमभूषण डॉ0 जमशेद जी ईरानी (86) का निधन 31 अक्टूबर 2022 को हो गया। वे चार दशकों से टाटा से जुड़े रहे। टाटा स्टील ने उनके नेतृत्व में विषम परिस्थितियों के बावजूद कई गुणा तरक्की की।

स्व0 ईरानी जी की अध्यक्षता में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 28 दिसम्बर 2000 को बिहार इण्डस्ट्रीज कमीशन की बैठक हुई थी। **उस पल को याद करते हुए चैम्बर स्व0 ईरानी को अपनी सम्मानजनक कृतज्ञता एवं श्रद्धांजलि अर्पित करता है।**

चैम्बर का सदैव यह प्रयास रहा है कि उद्योग एवं व्यवसाय से संबंधित कानूनों में दण्डात्मक प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता के दायरे से बाहर होना चाहिए । केन्द्र सरकार ऐसे दण्डात्मक अपराधों को जीएसटी अधिनियम से हटाने का विचार कर रही है जो भारतीय दण्ड संहिता के दायरे में पहले से हीं आते हैं। यह प्रस्ताव जीएसटी कानून के दायरे से कुछ अपराधों को बाहर करने की मंशा के अधीन लाया गया है। **केन्द्र सरकार के इस प्रस्ताव का बिहार चैम्बर स्वागत करता है। इस तरह का प्रावधान अन्य कानूनों के लिए भी होना चाहिए।**

मोदी सरकार की आखिरी पूर्ण बजट 2023–24 वित्त मंत्रालय ने तैयारी शुरू कर दी हैं । माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रमुख उद्योग संघों एवं प्रतिनिधियों से इस संबंध में विचार–विमर्श भी शुरू कर दिया हैं ।

वित्त मंत्रालय द्वारा आगामी बजट में ग्रामीण विकास को बढ़ाकर 1.60 लाख करोड़ से अधिक करने की संभावना है। बढ़ी राशि का उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोरोना महामारी के दौरान आयी कमी को दूर करने हेतु उपयोग करने की संभावना हैं ।

विमर्श के दौरान माननीया वित्त मंत्री को जो कुछ महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं वो हैं :–

- जीएसटी कानून को अपराध के दायरे से मुक्त करें ।
- कैपिटल गेन्स टैक्स की दरों की समीक्षा की जाये। इसके रेट और होल्डिंग पीरियड में बदलाव हो।
- पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कमी लाई जाये। इससे लोगों को खर्च करने लायक आय बढ़ेगी।
- कारपोरेट टैक्स की दर वर्त्तमान स्तर पर बनी रहे।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के विद्युत विनियामक आयोगों को तीन माह में विधान बनाकर बिजली दरें तय करने के नियम और शर्ते तय करने का निर्देश दिया है।

बिहार में निर्वाध बिजली और क्वालिटी की बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 1315 करोड रूपये खर्च करने की योजना बनाई है जिसके अंतर्गत नये ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण तथा पुराने ट्रांसमिशन लाईनों का नवीकरण और आधुनिकीकरण किया जायेगा।

पैन–आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि को बढ़ाने के पक्ष में आयकर विभाग नहीं है। 31 मार्च 2023 लिंकिंग की अंतिम तिथि के बाद आपका पैन Inactive हो जायेगा। **अतः समय सीमा के अंदर आधार–पैन लिंक करा लें।**

राज्य में दवाओं की कालाबाजारी और मनमानी कीमतों पर अंकुश हेतु केन्द्र सरकार के निर्देश पर मूल्य अनुश्रवण एवं संसाधन इकाई (PMRU) का गठन कर दिया गया है। गठन के साथ ही कमीटी को प्रभावी भी कर दिया गया है। PMRU की अध्यक्षता का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत को सौंपा गया है। श्री अमृत के अतिरिक्त इकाई में छः सदस्य भी मनोनीत किये गये है। यह इकाई औषधि नियंत्रण निदेशालय के तहत काम करेगी।

खुशी की बात है कि बिहार में छः लाख लीटर दूध प्रसंस्करण के दो प्लांट तैयार हो गये हैं। नई युनिटों में एक सीतामढ़ी एवं दूसरी पूर्णियाँ में है। सीतामढ़ी की दूध प्रोसेसिंग की क्षमता रोजाना 4 लाख लीटर है और पूर्णियाँ के युनिट की क्षमता दो लाख लीटर है जबकि भागलपुर अवस्थित डेयरी प्लांट की क्षमता एक लाख लीटर से बढ़ाकर 2 लाख लीटर कर दी गयी है। इन तीनों युनिटों में दूध प्रसंस्करण विकसित होने से करीब एक लाख किसान लाभान्वित होंगे। **अभी बिहार में 36 लाख लीटर दूध रोजाना प्रसंस्कृत हो रहा है। दो और नयी युनिटों एवं एक पुरानी युनिट की क्षमता विस्तार के बाद अब प्रतिदिन 43 लाख लीटर से अधिक का दूध का प्रसंस्करण हो सकेगा।**

बिहार में गुड़ उत्पादन की संभावनाओं के मद्देनजर गुड़ विकास नीति बनाने की तैयारी हो रही है। जिसके तहत गुड़ आधारित उद्योंगो की स्थापना करने वालों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

यह भी खुशी की बात है कि सहरसा की जीविका दीदीयों ने दही उत्पाद के बाजार में कदम रखा है । जीविका का 5 किलो एवं 15 किलो का पैकेट बंद दही 22 नवम्बर 2022 को **''कौशिकी''** दही के नाम से लाँच किया गया। सूबे का पहला जिला सहरसा है जहाँ जीविका दही बिक्री के क्षेत्र में उतरा है। **अन्य जिलों में भी इसे प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।**

सादर,

आपका

पी0 के0 अग्रवाल

अध्यक्ष

(पृष्ठ-1 का शेष)

स्कीम को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दे रही है। वित्त मंत्री अगले साल 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करेंगी। मंत्रालय ने तैयारी शुरू कर दी है। बढ़ी राशि का इस्तेमाल कोरोना महामारी के मद्देनजर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए किया गया। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.36 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। यह बढ़कर 1.60 लाख करोड़ से अधिक हो सकता है।

50% बजट बढ़ा तो सबसे बड़ी बढ़ोत्तरी होगी

साल	बजट	इजाफा
2019-20	1.17 लाख करोड़ रु	4.46%
2020-21	1.20 लाख करोड़ रु	2.56%
2021-22	1.31 लाख करोड़ रु	9.16%
2022-23	1.36 लाख करोड़ रु	3.81%

• अगले बजट में राशि 50% बढ़ाई जा सकती है।
(वित्त मंत्री की विभिन्न प्रतिनिधियों से बातचीत)

कैपिटल गैन्स टैक्स दरों की समीक्षा से लेकर आयकर दर घटाने के सुझाव : • जीएसटी कानून को अपराध के दायरे से बाहर करें • कैपिटल गेन्स टैक्स की दरों की समीक्षा की जाए। इसके रेट और होल्डिंग पीरियड में बदलाव हों। • पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कमी लाई जाए। इससे लोगों की खर्च लायक आय बढ़ेगी। • कॉर्पोरेट टैक्स की दर मौजूदा स्तर पर बनी रहे।

बजट मीटिंग शुरू : बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऊँची महंगाई दर, डिमांड बढ़ाने, रोजगार बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को 8% से अधिक बनाए रखने जैसी चुनौतियों से पार पाना होगा। वित्त मंत्री ने 21 नवम्बर से प्री-बजट मीटिंग शुरू की है। 24 नवम्बर को सोशल, हेल्थ, एजुकेशन के साथ सर्विस सेक्टर के प्रतिनिधियों से बात करेंगी। बजट में जलवायु परिवर्तन को प्राथमिकता दी जा सकती है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 24.11.2022)

जीएसटीआर-9 नहीं फाइल किया तो हर दिन 200 रुपये का फाइन

31 दिसम्बर तक जीएसटीआर-9 को फाइल करना अनिवार्य

अब से वित्तीय वर्ष में इनपुट क्रेडिट क्लेम को 2बी रिटर्न से मैच करना होगा। कारोबार में सप्लायर और कस्टमर के बीच सप्लाइ से संबंधित एडजस्टमेंट को डेबिट और क्रेडिट नोट से सेटल किया जा सकता है। उसे भी सप्लायर रिटर्न में दिखाना होगा। इस वर्ष से करमुक्त सप्लाइ को भी जीएसटीआर-9 में दिखाना अनिवार्य है। वित्त वर्ष 2021-22 के जीएसटीआर-9 को फाइल करते समय इन अहम बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। वरीय सीए राजेश खेतान ने बताया कि 31 दिसम्बर तक जीएसटीआर-9 को फाइल करना अनिवार्य है। अगर कोई डीलर जीएसटीआर-9 नहीं फाइल कर पाते हैं, तो प्रतिदिन 100 रुपये का फाइन देना होगा। केन्द्र के जीएसटी और राज्य के जीएसटी दोनों के लिए अलग-अलग 100 रुपये प्रतिदिन लेट फी देनी होगी। यानी 200 रुपये प्रतिदिन। उन्होंने बताया कि

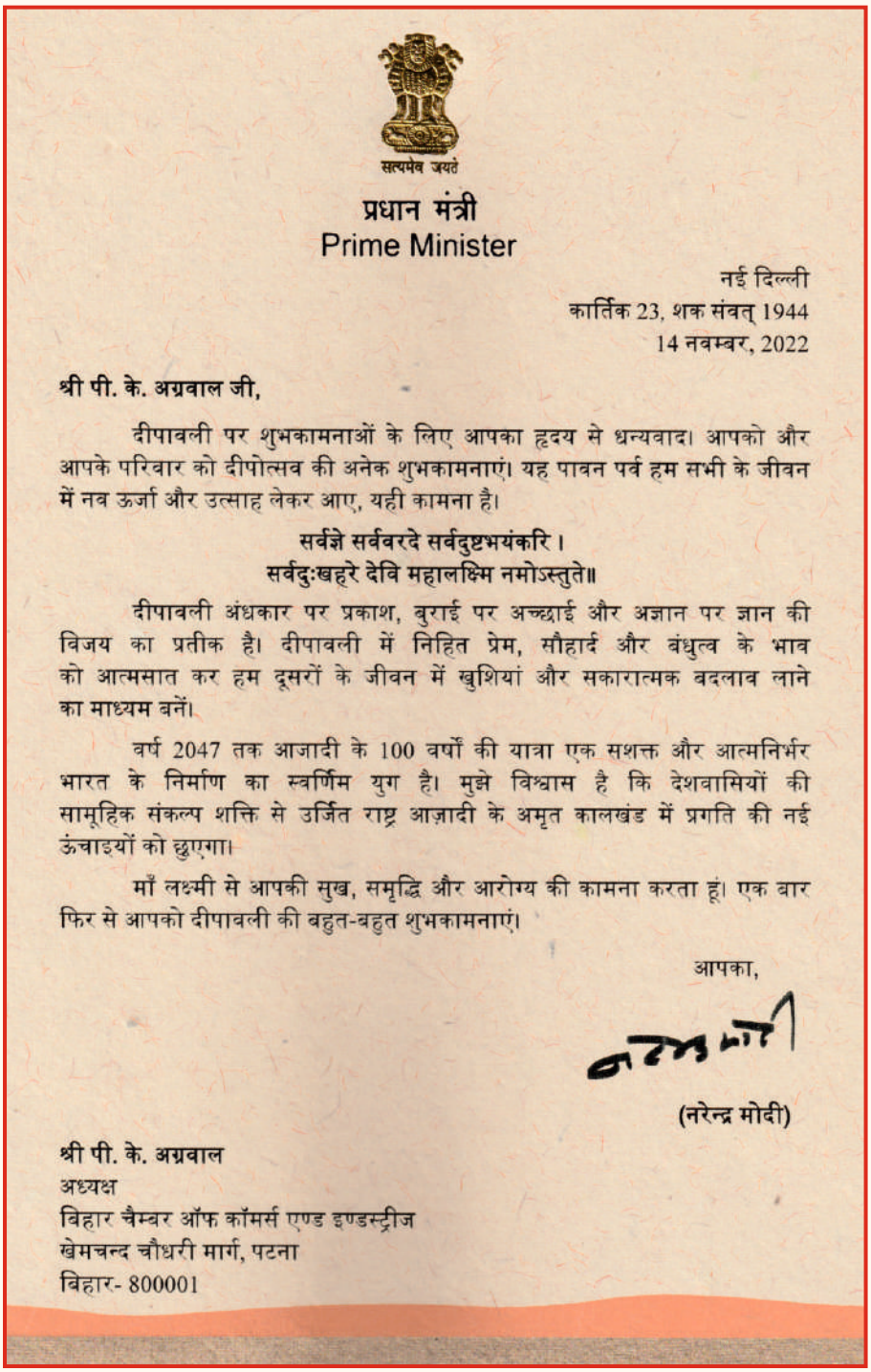

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister

नई दिल्ली
कार्तिक 23, शक संवत् 1944
14 नवम्बर, 2022

श्री पी. के. अग्रवाल जी,

दीपावली पर शुभकामनाओं के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपको और आपके परिवार को दीपोत्सव की अनेक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व हम सभी के जीवन में नव ऊर्जा और उत्साह लेकर आए, यही कामना है।

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरि।
सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥

दीपावली अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। दीपावली में निहित प्रेम, सौहार्द और बंधुत्व के भाव को आत्मसात कर हम दूसरों के जीवन में खुशियां और सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनें।

वर्ष 2047 तक आजादी के 100 वर्षों की यात्रा एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का स्वर्णिम युग है। मुझे विश्वास है कि देशवासियों की सामूहिक संकल्प शक्ति से उर्जित राष्ट्र आज़ादी के अमृत कालखंड में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा।

माँ लक्ष्मी से आपकी सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना करता हूं। एक बार फिर से आपको दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

आपका,

(नरेन्द्र मोदी)

श्री पी. के. अग्रवाल
अध्यक्ष
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज
खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना
बिहार- 800001

जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारी हर साल के अंत में एक रिटर्न फाइल करते हैं, जिसे जीएसटीआर-9 के नाम से जाना जाता है।

सीए अशीष अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी सामान्य कारोबारियों, जिनका टर्नओवर दो करोड़ से ऊपर का है, उन्हें जीएसटीआर-9 फाइल करना जरूरी है और रजिस्टर्ड सभी सामान्य कारोबारियों, जिनका टर्न- ओवर 5 करोड़ से ऊपर का है, उन्हें जीएसटीआर-9 सी फाइल करना जरूरी है।

(साभार : प्रभात खबर, 23.11.2022)

जीएसटी एक्ट से बाहर होगी अपराध की धारा

परिषद की मंजूरी के बाद पेश होगा संशोधन

जीएसटी अधिनियम को करदाताओं के लिए और आसान बनाने के लिए सरकार ऐसे दंडात्मक अपराधों को इससे हटाने पर विचार कर रही है जो भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) के दायरे में पहले से ही आते हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह प्रस्ताव जीएसटी कानून के दायरे के कुछ अपराधों को

देश के प्रमुख हस्ती
Steel Man of India
डॉ0 जमशेद जी ईरानी का निधन

टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक पदम्भूषण डॉ0 जमशेद जी ईरानी (86) का निधन दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 को हो गया। वे चार दशकों तक टाटा स्टील से जुड़े रहे।

स्व0 ईरानी जी दृढ़ संकल्प और कोमल हृदय वाले महान व्यक्ति थे, जिसके चलते बाधाओं पर वे विजय प्राप्त करते थे। उन्होंने विकास के साथ सुरक्षा का सपना देखा और उस स्वप्न को मूर्त्त रूप देकर टाटा स्टील को ही नहीं, जमशेदपुर को भी एक उच्चतम शिखर पर पहुँचा दिया। स्व0 ईरानी को लोग Steel Man of India के रूप में भी जानते थे। उनके नेतृत्व में टाटा स्टील गुणवता और ग्राहकों की संतुष्टि में खरा उतरा। टाटा स्टील ने उनके नेतृत्व में विषम परिस्थितियों के बावजूद कई गुणा तरक्की की।

28 दिसम्बर, 2000 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में स्व0 ईरानी जी की अध्यक्षता में बिहार इण्डस्ट्रीज कमीशन की बैठक हुई थी। उस पल को याद करते हुए चैम्बर दिवंगत आत्मा के प्रति अपना सम्मानजनक कृतज्ञता एवं श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

बाहर करने की कवायद के तहत लाया गया है और जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इसे रखे जाने की संभावना है। प्रस्ताव को जीएसटी परिषद की मंजूरी मिल जाती है, तो वित्त मंत्रालय जीएसटी कानून में संशोधन का प्रस्ताव देगा जिसे अगले महीने से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में रखा जायेगा। अधिकारी ने बताया कि विधि समिति ने इसकी धारा 132 में बदलावों को अंतिम रूप दे दिया है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 21.11.22)**

डेडलाइन : पैन-आधार लिंकिंग की लास्ट डेट बढ़ाने के पक्ष में नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट

31 मार्च के बाद नहीं करा सकेंगे पैन को आधार से लिंक

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया हो तो जल्द करा लें। 31 मार्च 2023 के बाद ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इन एक्टिव हो जाएगा। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन कई मौकों पर बीत चुकी है और इस बार आयकर विभाग इसे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। यह लगातार पैन कार्ड धारकों को इस कारण से अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने के लिए कहता है।

30 जून के बाद से 1000 रुपए फीस : सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

10,000 रुपए तक की पेनल्टी : पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्युचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं होगी। आईटी एक्ट, 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है।

पैन कार्ड इनएक्टिव होने की वजह से ये होगी परेशानी : • 5 लाख रुपए से ज्यादा का सोना नहीं खरीदा जा सकता • बैंकों में 50 हजार से ज्यादा डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं होगा • पैन कार्ड इनएक्टिव हुआ तो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा • किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी • म्यूचुअल फंड या वित्तीय योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे • शासकीय योजनाओं का फायदा लेने में भी दिक्कतें आएंगी। **(साभार : आइनेक्स्ट, 22.11.22)**

रिजर्व बैंक ने पायलट परीक्षण के तहत डिजिटल मुद्रा जारी की

नया युग : देश में ई रूपया का आगाज

• 2.75 अरब सौदा पहले दिन • 9 बैंकों ने 24 सौदे किए ई-रूपया से

देश में दिनांक 1.11.2022 को डिजिटल करेंसी ई–रूपया की शुरूआत के साथ नए युग का आगाज हुआ। बजट में की गई घोषणा के अनुसार रिजर्व बैंक ने इस योजना का पायलट परीक्षण किया।

पहले दिन करोबारियों के लिए थोक खंड में 24 लेन–देन किए गए। डिजिटल करंसी का इस्तेमाल सरकारी बॉन्ड खरीदने में किया गया। इन सौदों की कीमत 2.75 अरब रूपये रही।

सभी नौ बैंक जुड़े : रिजर्व बैंक के मुताबिक, केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) यानी ई–रूपया में पहले दिन हुए लेन–देन में सभी नौ बैंक जुड़े रहे। इस दौरान डिजिटल करेंसी तुरंत जारी करने के साथ–साथ उसी समय सौदा निपटान की प्रकिया जांची गई।

रियल टाइम में लेन–देन : विशेषज्ञों के अनुसार, सीबीडीसी में नकद देते ही इंटरबैंक सेटलमेंट की जरूरत नहीं रह जाएगी। इससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तुलना में लेन–देन रियल टाइम और कम लागत में होगा। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ योगेंद्र कपूर ने बताया कि ई–रूपया से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। साथ ही देश के पेमेंट सिस्टम को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

खुदरा ग्राहकों के लिए एक महीने में शुरूआत : आरबीआई के अनुसार, डिजिटल रूपये (खुदरा खंड) का पहला पायलट परीक्षण विशेष उपयोगकर्ता समूहों के बीच चुनिंदा स्थानों में किया जाएगा, जिसमें ग्राहक और करोबारी शामिल होगें। इसकी शुरूआत एक महीने के भीतर करने की योजना है। इस साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी लाने की योजना का ऐलान किया था। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2.11.2022)**

अर्थव्यवस्था में तेजी बरकरार प्रत्यक्ष कर संग्रह 31 प्रतिशत बढ़ा

देश में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक 31 प्रतिशत बढ़ कर 10.54 लाख करोड़ रूपये हो गया है। प्रत्यक्ष कर में मुख्य तौर पर व्यक्तिगत और कारपोरेट कर शामिल होते है।

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 11.10.2022 को कहा कि इस वृद्धि में व्यक्तिगत आयकर संग्रह के बेहतर प्रदर्शन का विशेष योगदान रहा। सकल कॉरपोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर संग्रह में क्रमशः 22.03 प्रतिशत और 40.64 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वहीं, कर रिफंड के समायोजन के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 8.71 लाख करोड़ रूपये रहा। इसमें व्यक्तिगत और कॉरपोरेट कर शामिल है। यह आम बजट में पूरे साल के लिए तय लक्ष्य का 61.31 प्रतिशत है। वित्त मंत्रालय के अनुसार एक अप्रेल से 10 नवंबर के बीच 1.83 लाख करोड़ रूपये के रिफंड जारी किये जा चुके हैं।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 12.11.2022)

बिहार के जीएसटी संग्रह में एक फीसदी की कमी

अक्टूबर में देश का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह काफी अच्छा रहा, लेकिन बिहार के लिए यह महीना अच्छा नहीं रहा। देश में अक्टूबर 2021 की तुलना में अक्टूबर 2022 में जीएसटी संग्रह में 16.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि बिहार के खाते में इस अवधि में एक फीसदी कम जीएसटी संग्रह हुआ। अक्टूबर 2022 में यह कम होकर 1344 करोड़ रहा गया, जबकि इस अवधि में पड़ोसी राज्यों के जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी हुई है।

जुलाई 2022 में भी जुलाई 2021 की तुलना में कम जीएसटी संग्रह हुआ था : बिहार में चालू वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दो महीने जुलाई और अक्टूबर में पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम जीएसटी संग्रह हुआ है। जुलाई 2022 में 1264 करोड़ जीएसटी संग्रह हुआ है जबकि जूलाई 2021 में बिहार को जीएसटी मद में 1351 करोड़ संग्रह हुआ था। जबकि अक्टूबर 2022 में यह कम होकर 1344 करोड़ रहा गया।

पड़ोसी राज्यों के अक्टूबर के जीएसटी संग्रह का आंकड़ा

जीएसटी संग्रह करोड़ में

राज्य	अक्टूबर 2021	अक्टूबर 2022	ग्रोथ (%)
बिहार	1351	1344	-1 प्रतिशत
झारखण्ड	2370	2500	5 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	6775	7839	16 प्रतिशत
प. बंगाल	4259	5367	26 प्रतिशत

(साभार : प्रभात खबर, 07.11.2022)

आयकर विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

उच्च मूल्य के संवीक्षा निर्धारण से संबंधित करदाताओं की शिकायतों के निवारण हेतु स्थानीय समितियों के गठन और कामकाज के लिए परिशोधित अनुदेश

उच्च मूल्य संवीक्षा निर्धारण के कारण उत्पन्न, करदाताओं की शिकायतों के निवारण हेतु केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फा.स. 225/101/2021–ITA–II दिनांक 23 अप्रैल 2022 के माध्यम से स्थानीय समितियों के गठन और इनके कामकाज के लिए परिशोधित अनुदेश जारी किये हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

- प्रत्येक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त क्षेत्र में प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त स्तर के 3 अधिकारियों की स्थानीय समितियों का गठन किया गया है, जिसमें प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (छूट) और प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतराष्ट्रीय कराधान) भी शामिल हैं।
- पहचान विहीन निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत पूर्ण किए गए निर्धारण से उत्पन्न शिकायतें, यदि हो तो, समर्पित ई–मेल आई डी. samadhan.faceless.assessment@incometax.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। गैर पहचान विहीन निर्धारण प्रणाली के तहत पूर्ण किए गए निर्धारण से उत्पन्न शिकायतों को संबंधित प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय में ई–मेल या भौतिक रूप से भेजा जा सकता है।
- इसके तहत प्राप्त शिकायत, संबंधित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त की स्थानीय समिति को अग्रेषित की जायेगी, जो इस शिकायत की पावती देगी।
- उचित जाँच के उपरांत स्थानीय समिति जिस माह में शिकायत प्राप्त हुई है, उस माह की समाप्ति से अगले दो माह के भीतर कारण सहित संबंधित प्रधान मुख्य आयुक्त को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ओर यह स्पष्ट करेगी कि यह मामला उच्च मूल्य निर्धारण का है या नहीं।
- ऐसे मामलों में जहाँ स्थानीय समिति, मामले को उच्च मूल्य का पाती है या जहाँ निर्धारण अधिकारी/ईकाई द्वारा, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया गया है या लापरवाही की गई है या बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया है, वहां संबंधित अधिकारी के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने का भी प्रावधान हैं।

संपूर्ण परिशोधित अनुदेश, (फा.सं–225/101/2021–दिनांक 23 अप्रैल 2022), लिंक https://incometaxindia.gov.in/Lists/Latest%20News Attachments/518/Instruction-225-101-2021.pdf पर उपलब्ध है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.11.2022)

वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

जीएसटी करदाता ध्यान दें

रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में निम्न महत्वपूर्ण बदलाव किए गए है :

- वर्तमान अवधि का जीएसटीआर–1 दाखिल करने से पहले करदाताओं को पिछली कर अवधियों का जीएसटीआर–1 दाखिल करना होगा
- उक्त कर अवधि के लिए जीएसटीआर–3बी दाखिल करने से पहले वर्तमान अवधि का जीएसटीआर–1 दाखिल करना होगा।

जीएसटीआर – 1 फॉर्म क्या है?

जीएसटीआर–1 फॉर्म जावक आपूर्तियों (outward supplies) का विवरण है

- इसे क्यू आर एम पी करदाताओं द्वारा तिमाही आधार पर दाखिल किया जाता है
- इसे अन्य करदाताओं द्वारा मासिक आधार पर दाखिल किया जाता है।

जीएसटीआर–1 फॉर्म कब भरा जाना चाहिए?*

- जीएसटीआर–1 फॉर्म सभी करदाताओं द्वारा (क्यू.आर.एम.पी. कर–दाताओं को छोड़कर) प्रत्येक माह के लिए अगले महीने की 11 तारीख को अथवा इससे पहले अवश्य दाखिल किया जाना है।
- क्यू. आर. एम. पी. करदाताओं द्वारा तिमाही जीएसटीआर– 1 फॉर्म संबंधित तिमाही के अगले महीने की 13 तारीख तक दाखिल किया जाना है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया अधिसूचना सं. 18/2022– केन्द्रीय कर दिनांक 28.9.2022 के साथ पठित केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 37 (4) और धारा 39 (10) एवं जीएसटीएन एडवाईजरी दिनांक 21.10.2022 को देखें।

***जीएसटीआर–1 फॉर्म देर से दाखिल किये जाने पर विलंब शुल्क लगेगा।**

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

(साभार : प्रभात खबर, 8.11.2022)

जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद, बिहार को चार हजार करोड़ का घाटा

• बिहार सरकार ने जताया विरोध क्षतिपूर्ति की मियाद पाँच साल बढ़ाने की मांग • जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि 30 जून 2022 को हो गयी पूरी • क्षतिपूर्ति नहीं मिलने पर बढ़ेगा राज्य पर कर्ज का बोझ

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत क्षतिपूर्ति (कंपंशेसन) नहीं मिलने से बिहार को इस साल चार हजार करोड़ रूपये से हाथ धोना पड़ेगा। जीएसटी के लागू होने के समय पांच साल के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया था, जिसकी मियाद 30 जून, 2022 को खत्म हो गयी, जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने का खामियाजा बिहार सहित दूसरे राज्यों को भी भुगतना पड़ेगा। बिहार जैसे राज्यों के राजस्व मद में जीएसटी मद की राशि का बड़ा योगदान है। कोविड के दौरान राज्य के राजस्व संग्रह पर असर पड़ा था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2021–22 में राजस्व संग्रह 35846 करोड़ हुआ था, जिसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि भी शामिल है। राज्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए ऋण ले रहा है। ऋण मद की राशि में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। वर्ष 2020–21 में राज्य का कुल लोक ऋण 35915 था जो वर्ष 2022–23 में बढ़ कर 40756 करोड़ हो जाने का अनुमान है। अगर क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है, तो लोक ऋण की इस राशि में और बढ़ोतरी हो सकती है। जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था, तय हुआ था कि जीएसटी लागू होने से राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई अगले पाँच साल तक केन्द्र करेगा। तब माना गया था कि राज्यों का रेवेन्यू 14% फीसदी की चक्रवृद्धि दर से बढ़ रहा है। जीएसटी के पहले वैट के दौरान राज्यों का राजस्व ग्रोथ करीब 8.9 फीसदी था और बिहार का 13% था। इस आधार पर जीएसटी के तहत प्रोटेक्टेड रेवन्यू में 14% ग्रोथ नहीं होने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया था।

केन्द्र कहाँ से कर रहा था क्षतिपूर्ति : जीएसटी के तहत विलासितापूर्ण वस्तुओं पर सेस लगाया गया है। यह व्यवस्था राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई को देखते हुए हुई थी। केन्द्र ने सेस वसूले जाने की अवधि बढ़ा कर जूलाई 2026 तक के लिए कर दी है। अब इस राशि से केन्द्र सरकार कोरोना काल में राज्यों को दिये ऋण की कैपिटल और सूद की भरपाई करेगी।

इन पर जारी रहेगा सेस : इन दो वित्त वर्षों के दौरान राज्यों ने जो लोन लिया था, उसे चुकता करना है। इसके लिए तंबाकू, सिगरेट, हुक्का,

एयरेटेड वॉटर, हाई–एंड मोटरसाइकिल, एयरक्राफ्ट, याट और मोटर–व्हीकल्स पर सेस जारी रहेगा। यानी इनके लिए अब भी उपभोक्ता को अधिक कीमत चुकानी होगी। उल्लेखनीय है कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के पास स्थानीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाने की शक्ति नहीं रह गयी है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 8.11.2022)**

राज्य के 17 औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 466 करोड़ रुपये मंजूर हुए

राज्य के 17 औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 466 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इनमें फतुहा औद्योगिक क्षेत्र को 63.37 करोड़, समस्तीपुर को 9.95 करोड़, मुजफ्फरपुर के मरारपुर को 17.91 करोड़, बरियारपुर को 67.83 करोड़, पानापुर को 9 करोड़, विशुनपुर को 37.60 करोड़ और महावल को 8.10 करोड़, वैशाली के हाजीपुर को 28.71 करोड़, पूर्णिया के मरंगा को 79.44 करोड़, गया के गुरारू को 10.20 करोड़, गया को 6.86 करोड़, दरभंगा के नवानगर को 40.64 करोड़, पाटलीपुत्र आईटी इन्क्यूबेशन सेंटर के विकास को 26.55 करोड़, पटना के बीएसएफसी भवन में स्टार्टअप व्यापार केन्द्र के विकास को 29.38 करोड़, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कॉम्प्लेक्स पटना को 5.47 करोड़ तथा पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल के विकास को 16.11 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार राज्य कैबिनेट ने राज्य में एक नये इथेनॉल प्लांट स्थापित करने और एक के विस्तार पर सहमति दी है।

मेसर्स मुजफ्फरपुर बायो फ्यूएल्स प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रीयल पार्क मुरारपुर में मोतीपुर शुगर मील मुजफ्फरपुर को 100 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के प्लांट के लिए 141 करोड़ पूंजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन की सशर्त स्वीकृति दी गई। **(साभार : हिन्दुस्तान, 9.11.2022)**

बरौनी खाद कारखाने में 22 साल बाद शुरू उत्पादन

पहले दिन 56 टन का उत्पादन, 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार

बिहार का गौरव रहा बरौनी खाद कारखाना आखिरकार 22 साल बाद फिर शुरू हो गया। दिनांक 13.11.2022 को पहले दिन यहाँ उत्पादित 56 टन नीम कोटेड यूरिया पहली बार बिक्री के लिए बाजार में भेजा गया।

जनवरी 1999 में बरौनी खाद कारखना बंद हो गया था। इसके चालू होने से आस-पास के 5 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। 8387 करोड़ की लागत से बने इस यूरिया प्लांट की शुरुआत 2018 में की गई थी। कोरोना और अतिवृष्टि की वजह से लगभग 50 महीने में उत्पादन के लिए तैयार इस यूनिट से हर साल 12 लाख 70 हजार मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होना है यानी प्रतिदिन 3850 टन। नई तकनीक और विश्वस्तरीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों को यहाँ से की जाएगी खाद की आपूर्ति : पूरे बिहार के साथ-साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा समेत देश के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को भी यहाँ से यूरिया की आपूर्ति की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने वन नेशन, वन फर्टिलाइजर के तहत 2018 में इसकी शुरूआत की थी। अब 4 साल बाद यहाँ उत्पादन शुरू हुआ है। कारखाने में 400 स्थाई कर्मचारियों के अलावा 2 से 5 हजार तक लोग काम करेंगे। पूरे देश में वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के तहत फिलहाल अपना यूरिया के नाम से यहाँ उत्पादन हो रहा है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 14.11.2022)

पटना के ब्रास मेटल व टिकुली पेंटिंग को भी मिलेगी पहचान

पहले थे 23 उत्पाद, अब 55 उत्पादों को मिलेगा बाजार

बिहार में किसानों और स्थानीय लोगों को लोकल उत्पाद से वोकल बनाने की योजना में रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जगी है। एक जिला एक उत्पाद योजना में अब बदलाव हुआ है। 30 जून 2020 को जब योजना लांच हुई थी, तब बिहार के 38 जिलों के लिए 23 उत्पाद चयनित थे। अब 38 जिलों के लिए इस योजना में 55 उत्पाद हो गए हैं। पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिले में एक की जगह तीन-तीन उत्पाद जोड़े गए। सहरसा, सीवान, शिवहर, शेखपुरा और सारण पाँच जिले ही ऐसे हैं जिसमें एक उत्पाद हैं। 16 जिले में तीन-तीन उत्पाद जबकि 17 जिलों में दो-दो उत्पाद चिह्नित किए गए हैं। जब योजना शुरू हुई थी तब कृषि विभाग के जिम्मे था। अब योजना उद्योग विभाग के पास आने के बाद बदलाव हुआ है। राज्य सरकार के उत्पाद चयन में बदलाव के प्रस्ताव को केन्द्र ने मंजूरी दे दी है।

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल प्रोडक्ट

जिला	उत्पाद 1	उत्पाद 2	उत्पाद 3
अररिया	मखाना	जूट	-----
अरवल	आम	कद्दू	-----
औरंगाबाद	लेमनग्रास	स्ट्राबेरी	-----
बांका	बांका सिल्क	कतरनी चावल	-----
बेगूसराय	मक्का	मिर्च	-----
भागलपुर	भागलपुर सिल्क	मंजूषा पेंटिंग	जर्दालु आम
भोजपुर	भोजपुर पेंटिंग	एप्लिक वर्क्स	चावल
बक्सर	सोनाचूर चावल	मेंथा	हैंड इंब्रेडरी
दरभंगा	मखाना	मधुबनी पेंटिंग	टेराकोटा
पूर्वी चंपारण	सीप बटन	मशरूम, लीची	बैग्स एंड गारमेंट
गया	स्टोन आर्ट	तिलकुट	हैंडलूम/गारमेंट
गोपालगंज	गन्ना	हल्दी	-----
जमुई	क्रोचेड गुड्स	कटहल	-----
जहानाबाद	मशरूम	चावल	-----
कैमूर	चावल	कारपेट	-----
कटिहार	जूट	मखाना	मक्का
खगड़िया	केला	बांस कला	मक्का
किशनगंज	चाय	अनानास	ड्रैगन फ्रूट
लखीसराय	टमाटर	दाल मसूर	-----
मधेपुरा	बांस कला	आम	-----
मधुबनी	मधुबनी पेंटिंग	सिक्की पेंटिंग	मखाना
मुंगेर	लेमन ग्रास	मेंथा	-----
मुजफ्फरपुर	लीची	सुजनी इंब्रोडरी, बैग एंड गारमेंट	
नालंदा	बावन बूटी	सिलाव खाजा	
नवादा	मगही पान	हैंडलूम	-----
पटना	ब्रास मेटल वर्क्स, टिकुली पेंटिंग, गारमेंट एंड एक्टिव, वीअर		
पूर्णिया	बांस आर्ट	जूट	मखाना
रोहतास	मेंथोल	सोनाचूर	चावल, टमाटर
सहरसा	मखाना	-----	-----
समस्तीपुर	बांस आर्ट	हल्दी	-----
सारण	टमाटर	-----	-----
शेखपुरा	प्याज	-----	-----
शिवहर	मक्का	-----	-----

योजना के तहत फसल, फल, सब्जी सहित जिलों की विभिन्न कला और गारमेंट उद्योग को बढ़ावा देकर लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना 2024-25 तक के लिए है। बिहार में इससे 2 लाख सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयों को 10 हजार करोड़ रुपए अनुदान सहायता देने का लक्ष्य है। योजना से उद्यानिक फसल प्रसंस्करण उद्योग और अन्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी : "योजना में बदलाव किए गए हैं। पहले एक जिला में एक ही उत्पाद था। अब एक जिला में दो से तीन उत्पाद तक बढ़ाए गए हैं। विभिन्न जिलों के उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।" **– समीर कुमार महासेठ,** उद्योग मंत्री

ऐसे कर सकते हैं आवेदन : • ऑनलाइन www.pmfme.mofpi.gov.in पर लॉगिंग कर आवेदन कर सकते हैं • ऑनलाइन आवेदन के 5 चरण में आवेदन पंजीकरण, जिला स्पर पर आवेदन अनुमोदन, बैंक लिंकेज और क्रेडिट लिंकेज है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 3.11.2022)**

बिहार में शोध व नवाचार के लिए भी जमीन देगा बियाडा

• रिसर्च को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया निर्णय • बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में बदलाव

राज्य सरकार अब रिसर्च और इनोवेशन को भी बढ़ावा देगी। इसके लिए संबंधित संस्थानों को लैब स्थापित करने के लिए सरकार जमीन भी उपलब्ध कराएगी। पिछले दिनों राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए इन निर्णय पर मुहर लगायी। साथ ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में बदलाव भी किया है। नीति में संशोधन के बाद रिसर्च लैब और टेस्टिंग लैब के लिए सरकार जमीन देगी। संबंधित एजेंसी को बियाडा में उनकी आवश्कतानुसार जमीन मिलेगी। अबतक बियाडा की जमीन पर रिसर्च या टेस्टिंग लैब के लिए जमीन दिये जाने का प्रावधान नहीं था।

राज्य सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में कई अहम संशोधन किये हैं। उद्योग विभाग मौजूदा नीति को और व्यावहारिक बनाने में जुटा है। समय-समय पर प्रधान सचिव संदीप पौड्रिक खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं। नये बदलाव के बाद माना जा रहा है कि सूबे में निवेश बढ़ेगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। पिछले दिनों विभाग ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए रिक्त औद्योगिक भूखंड के आवंटन की बाध्यता खत्म कर दी थी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2.11.2022)**

गन्ना उद्योग में लागू होगा 'सिंगल विंडो सिस्टम'

राज्य सरकार गन्ना उद्योग के विकास के लिए विभागीय स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेगी। इसके लिए गन्ना उद्योग विभाग ने व्यापक कार्य योजना बनायी है। सरकार का मानना है कि चीनी उद्योग के लिए आने वाले किसी उद्यमी को विभाग या फिर सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़े।

उन्हें सारी सुविधाएँ, सारी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करायी जाए। निवेशक विभाग तक आएं, उसके बाद की सारी प्रक्रिया विभाग खुद पूरी करे। निवेशकों को न तो सरकारी प्रावधानों के लिए भटकना पड़े, न नियम-कानून की बारीकियों को समझने में पसीना बहाना पड़े। ऐसे में उन्हें उनकी इच्छित जानकारी और अन्य प्रक्रियागत सहायता के लिए विभाग खुद पहल करेगा।

पिछले दिनों गन्ना उद्योग मंत्री आलोक मेहता ने विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि विभाग के स्तर पर ही इसकी व्यवस्था हो जहाँ अधिकारियों की टीम सभी सूचनाओं के साथ उपलब्ध हों। उनके द्वारा वहाँ प्रस्तुतीकरण की भी व्यवस्था हो। कोई निवेशक जब चाहे, वहाँ से जानकारी पा सके। उन्हें किसी सूचना के लिए किसी भी सूरत में अन्यत्र न भटकना पड़े, यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया।

मंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। विभाग इसे उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम की तर्ज पर लागू करना चाहता है। इसके लिए उद्योग विभाग से भी मदद ली जाएगी। योजना लागू करने के पहले उसे हर स्तर पर परखने की योजना है ताकि इसके कार्यान्वयन में किसी तरह की बाधा न आए।

"हम प्रदेश में गन्ना उद्योग को लेकर निवेश का बेहतर माहौल बनाना चाहते हैं। इसलिए प्राइवेट सेक्टर के निवेशकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की योजना है। इससे निवेशकों को सीधा लाभ होगा। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।"

– आलोक मेहता, गन्ना उद्योग मंत्री

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.11.2022)

अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी सूचना प्रौद्योगिकी नीति

नए वित्तीय वर्ष में प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी नीति लागू होगी। राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे विधान सभा के सत्र में पेश करने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर से प्रस्तावित सूचना प्रौद्योगिकी नीति को सहमति दे दी गई है। सरकार ने आइटी सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। आइटी कंपनियों को निवेश लाने एवं स्टार्टअप इकाइयों की स्थापना के लक्ष्य के साथ पहली बार प्रदेश में अलग से सूचना प्रौद्योगिकी नीति बनाई गई है।

वर्तमान में आइटी उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कोई समग्र स्टार्टअप नीति नहीं है। आइटी सेक्टर में भी स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मजबूत स्टार्टअप ईको-सिस्टम बनाने के लिए एक नीति की जरूरत थी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बिहार आइटी स्टार्टअप नीति बनाई है। इसका उद्देश्य साफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा सेवापरक उद्योगों की क्षमता को प्रोत्साहन देना है और स्वरोजगार से रोजगार सृजन को बढ़ावा देना भी।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 12.11.2022)

स्टार्टअप को आए 10 हजार आवेदन पर चयन 100 का ही

तकनीकी पेच में फंसे उद्यमी, स्टार्ट अप और लघु उद्योग के फर्क को नहीं समझ सके, 99 फीसदी आवेदक असफल

• अधिसंख्य आवेदन लघु उद्योग के थे, अब सरकार करेगी उद्यमियों को जागरूक • उद्यमियों को स्टार्ट अप को लेकर एक दिन की ऑनलाइन जानकारी दी जाएगी।

प्रदेश में स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक उद्यमी तकनीकी पेज में फंस गए हैं। स्टार्टअप के लिए 10 हजार आवेदन आए, लेकिन उनमें से महज 100 का ही चयन हो सका। आवेदकों में मात्र एक फीसदी ही विभाग के मानकों पर खरे उतर सके। शेष आवेदक पात्रता हासिल नहीं कर सके। स्टार्टअप के लिए जो आवेदन विभाग के पास आए, उनमें से अधिसंख्य लघु उद्योग से संबंधित थे। वे स्टार्ट अप और लघु उद्योग के फर्क को नहीं समझ सके। लिहाजा, उन्होंने लघु उद्योगों से संबंधित उद्यम के लिए आवेदन किया। ऐसे में उनका आवेदन स्वीकृत नहीं हो सका। वे स्टार्ट अप के लिए चयनित नहीं हो सके। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 12.11.22)**

घर तक पहुँचने में एक साल में 7070 करोड़ की बिजली बर्बाद

ट्रांसमिशन लॉस से हर साल बेकार हो रही 33% बिजली

बिहार की दोनों बिजली आपूर्ति कंपनियाँ सूबे को उपलब्ध कुल बिजली का औसतन 67% ही राजस्व इकट्ठा कर पा रही हैं। इन कंपनियों को मिलने वाली करीब 33% बिजली बर्बाद हो जा रही है। इसमें लगभग 25% ग्रिड व सब स्टेशनों से घर तक पहुँचने में और शेष 8 फीसदी बिजली बिलिंग या कलेक्शन नहीं हो पाने की वजह से बेकार चली जा रही है।

यही कारण है कि आपूर्ति कंपनियों को सिर्फ 2020-21 में इसकी वजह से 10276.61 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली यानी करीब 7070 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। बिजली कंपनियों द्वारा विनियामक आयोग को सौंपे गये वार्षिक लेखा-जोखा में इसकी जानकारी दी गयी है। सूबे की अपनी जेनरेशन इकाई नहीं होने की वजह से आखिरकार इसका बोझ राज्य सरकार और बिजली उपभोक्ताों पर पड़ रहा है। इस घाटे से निबटने के लिए कंपनियाँ करीब करीब हर साल टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव देती हैं।

पिछले वर्ष ही कंपनियों ने 10 प्रतिशत टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। इस घाटे से निपटने के लिए जहाँ विनियामक आयोग को टैरिफ बढ़ाने की मजबूरी होती है, वहीं उपभोक्ताओं पर से इसका बोझ हटाने के लिए राज्य सरकार को अनुदान देना पड़ता है।

खरीदी 34200 मिलियन यूनिट बिजली, पैसे मिले 21256 के : विनियामक आयोग द्वारा बिजली कंपनी के 2020-21 के अकाउंट में बताया गया है कि इस साल दोनों आपूर्ति कंपनियों ने कुल मिला कर 34205 एमयू बिजली की खरीद की, पर अंतिम रूप से 21257 एसयू बिजली का ही राजस्व मिल सका। इसके बीच में 4% यानी 1240 एमयू बिजली का नुकसान नेशनल व स्टेट ट्रांसमिशन से हुआ। इसके बाद कंपनियों को उपलब्ध हुई 31533 एमयू बिजली में से 7296 एमयू बिजली राज्य के सब स्टेशनों से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मरों और घरों तक पहुँचाने के बीच बर्बाद हो गयी। कंपनियों ने अंतिम रूप से 23576 एमयू बिजली बेची, लेकिन इसमें से भी 21257 एमयू बिजली के पैसे (16651 करोड़ रुपये) कंपनी को मिल सके। बेची गयी बिजली में से 1910 एमयू यानी करीब 1600 करोड़ की बिलिंग नहीं हो पायी या बिलिंग हुई तो कलेक्शन नहीं हो पाया। इसमें साउथ बिहार के 1320 करोड़ व नॉर्थ बिहार के 281 करोड़ शामिल है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 14.11.2022)**

1898 उद्यमियों के लिए 181 करोड़ मंजूर

बिहार में पहली बार लगा 35 जिलों में विशेष कैंप, विभिन्न योजनाओं के लाभुक हुए शामिल

सरकार ने उद्यमियों की परेशानी दूर करने के लिए सभी जिलों में विशेष कैंप लगाया। 35 जिलों में आयोजित इस स्पेशल कैंप के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के लिए 181 करोड़ मंजूर किये गये। यह राशि 1898 उद्यमियों के बीच वितरित होगी। गुरुवार 03.11.2022 को आयोजित इस विशेष कैंप में ऑन स्पॉट 282 उद्यमियों के बीच 18 करोड़ रुपए बांटे गए। शेष राशि शीघ्र अन्य उद्यमियों के खाते में भेज दी जाएगी। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक खुद कैंप की मॉनिटरिंग कर रहे थे। अगला विशेष कैंप दिसम्बर के पहले सप्ताह में लगेगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 4.11.2022)**

पराली के ईंधन से घर होंगे रोशन

देश के लिए समस्या बन चुकी पराली आने वाले दिनों में घरों को रोशन करने के काम में आएगी। खेतों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदुषण की समस्या और कोयले का बायो विकल्प देने को केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। बायोमास ऊर्जा स्वच्छ उर्जा स्त्रोतों की ओर बढ़ने के लक्ष्य का समर्थन व सहयोग करेगा।

बिहार में पहली बार इस तरह का आयोजन : फसल अवशेष से जैव ईंधन बनाने के लिए एनटीपीसी को व्यापक स्तर पर पराली की जरूरत पड़ेगी। पराली किसानों से ही उपलब्ध हो सकता है, इसलिए योजना को धरातल पर लागू करने के लिए सबसे पहले प्रदेश के किसानों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया है। कृषि कालेज के प्राचार्य डॉ. रियाज अहमद ने बताया कि एनपीटीआई (नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट) द्वारा ओयोजित किसान जागरूकता शिविर सह कार्यशाली में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरुण कुमार, एनपीटीआई के उप निदेशक एम. एल. सेनापति, प्रशासक प्रशांत नायक सहित कोयला मंत्रालय के उच्च अधिकारी हिस्सा लेंगे। प्राचार्य ने बताया कि बिहार में पहली बार एनपीटीआई पराली से जैव ईंधन बनाने की तैयारियों की कड़ी में किसानों को जागरूक करने, बिजली संयंत्रों में जैव ईंधन के इस्तेमाल एवं बिजली उत्पादन में पराली के उपयोग की नीति से किसानों को अवगत कराएगा।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 10.11.2022)

नए साल में 50 पैसे यूनिट महंगी हो सकती है बिजली

अगले साल एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी हो सकती है। बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के बाद बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने यह फैसला दिया है। आयोग ने बिहार में अगले वित्तीय वर्ष यानी 23-24 में 32 हजार 587.01 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ति की शर्त के साथ बिजली दर बढ़ाने की याचिका मंजूर की है। आयोग की ओर से यह निर्णय अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने सुनाया।

दरअसल, एक अप्रैल 2022 से लागू बिजली दर में आयोग ने कोई वृद्धि नहीं की थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 23835.31 करोड़ की मांग की थी। बिजली की बिक्री से होने वाली आमदनी के बावजूद कंपनी ने 1184.41 करोड़ कम होने का हवाला दिया था। आयोग ने सभी तथ्यों की समीक्षा कर बिजली कंपनी का खर्च 21545.97 करोड़ ही माना। बिजली की बिक्री से कंपनी को होने वाली आय के बाद मात्र 6.69 करोड़ का अंतर पाया और बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की। इसी के विरोध में कंपनी ने बिजली दरों में वृद्धि करने के लिए संशोधित याचिका दायर की थी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में 29835 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ति होने के आसार : आयोग ने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं होगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दायर की जाने वाली जनहित याचिका में इस अनुदान को शामिल किया जाए। कंपनी द्वारा दिए प्रस्ताव के अनुरूप अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमानित बिक्री 32587.01 मिलियन यूनिट रहती है तो 48.89 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि बिजली कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनी ने 24 हजार 342 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति हुई थी। 2021-22 में यह बढ़कर 27 हजार 743.32 मिलियन यूनिट हुई। जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 29 हजार 835 मिलियन यूनिट होने के आसार हैं। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.11.2022)**

ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे उपभोक्ता

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की सुविधा का लाभ बिहार के करीब पौने दो करोड़ लोगों को मिलेगा

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने बिहार के करीब पौने दो करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी है। इसके तहत उपभोक्ता होल्डिंग कंपनी के ग्रिवांस रिड्रेसल पोर्टल (http://hargharbijli.bsphcl.co.in / Grievanceportal/Default.aspx) पर शिकायत दर्ज कराते लॉगिन करने वाले मोबाइल पर कंपलेन आइडी मिलेगा, जिसे वेबसाइट पर ट्रैक किया जा सकेगा। पोर्टल का लिंक कंपनी की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 9.11.2022)**

अगले महीने से घरों पर लगेगा रूफटॉप सोलर, पटना के 6 हजार उपभोक्ताओं ने दिए आवेदन

पाँच वर्षों तक मेंटेनेंस करेगी एजेंसी, 25 वर्षों तक बिजली उत्पादन होगा

बिजली उपभोक्ताओं की छत पर दिसम्बर से रूफटॉप सोलर लगाने का काम शुरू होगा। बिजली कंपनी द्वारा एजेंसी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। चयनित एजेंसी को अगले सप्ताह तक काम अवार्ड किया जाएगा। इधर, ऑनलाइन के माध्यम से अभी तक 12 हजार बिजली उपभोक्ताओं ने रूफटॉप सोलर लगाने के लिए आवेदन दिया है। इसमें सबसे अधिक 6 हजार आवेदन पटना शहर के उपभोक्ताओं के हैं। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक नॉर्थ बिहार के 21 जिलों से रूफटॉप सोलर लगाने के लिए 2 हजार आवेदन मिला है। वहीं, साउथ बिहार के 17 जिलों से 10 हजार आवेदन आया है। इसमें सबसे अधिक आवेदन पटना शहर के उपभोक्ताओं ने दिया है। इन उपभोक्ताओं के घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाने की जगह और सूरज से मिलने वाली रोशनी की जाँच की जाएगी। इसके बाद सोलर पैनल लगाया जाएगा।

65 फीसदी मिलेगा अनुदान : निजी घर के छत पर एक से 3 किलोवाट तक सोलर पैनल लगाने के लिए 65 फीसदी अनुदान मिलेगा। वहीं, 3 से 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने पर अनुदान की राशि घटकर 45 फीसदी हो जाएगी। इधर, हाउसिंग सोसायटी में सोलर पैनल लगाने पर 45 फीसदी अनुदान मिलेगा। अभी सोलर पैनल का दर अंतिम रूप से निर्धारित नहीं हुआ है। संभावित दर 62 हजार रुपए के हिसाब से प्रति किलोवाट हो सकता है।

20 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य : राज्य में रूफटॉप सोलर से 20 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा 10-10 मेगावाट का रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा। रूफटॉप सोलर लगाने के लिए इच्छुक साउथ बिहार के उपभोक्ता कंपनी के बेवसाइट http://sbpdcl.in और नॉर्थ बिहार के उपभोक्ता कंपनी के बेवसाइट http://sbpdcl.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 500 रुपए ऑन लाइन के माध्यम से जमा करना है। रूफटॉप सोलर लगाने वाली एजेंसी 5 सालों तक मेंटेनेंस करेगी। यह सोलर पैनल 25 सालों तक बिजली उत्पादन करेगा।

अधिक उपादित बिजली को खरीदेगी कंपनी : छत पर लगाए जाने वाला सोलर पैनल से उत्पादन होने वाले बिजली को घरेलू उपभोक्ता खपत करेंगे। खपत से अधिक बिजली होने पर कंपनी खरीदेगी। यह ग्रिड कनेक्टेड होगा। रात में जरूरत के अनुसार ग्रिड से बिजली ले सकेंगे। हर महीने के अंत में हिसाब होगा। **(साभार : दैनिक भास्कर, 12.11.2022)**

100 चारा केंद्रित एफपीओ की स्थापना को मंजूरी

देश में चारे की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने अंततः चालू वित्त वर्ष के दौरान 100 चारा–केंद्रित किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वर्ष 2020 में चारा केन्द्रित एफपीओ की स्थापना का प्रस्ताव दिया था और कृषि मंत्रालय से केंद्रीय योजना ''10,000 नए एफपीओ के गठन और संवर्धन'' के तहत ऐसे एफपीओ को अनुमति देने का अनुरोध किया था।

प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया गया और कृषि मंत्रालय ने आखिरकार 4 नवंबर को एक आदेश जारी किया।

आदेश में कहा गया है, ''कृषि और किसान कल्याण विभाग में सक्षम प्राधिकारी ने एनडीडीबी को 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और बढ़ावा देने की योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित करने के लिए मंजूरी दे दी है ताकि एफपीओ, मुख्य रूप से चारा केंद्रित एफपीओ और पशुपालन गतिविधिओं को एक माध्यमिक गतिविधि (चारा प्लस मॉडल) के रूप में बढ़ावा दिया जा सके।''

(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा 10.11.2022)

रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र में पीएलआई लाने की तैयारी

इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) की सफलता से सरकार उत्साहित है। सूत्रों का कहना है कि सरकार आगामी बजट में रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र के लिए भी 10 हजार करोड़ रुपये की पीएलआई का ऐलान कर सकती है। इससे इस क्षेत्र में भारी मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

सूत्रों ने बताया कि सरकार गंभीरता से इस क्षेत्र के लिए पीएल आई पर काम कर रही है। शुरुआती योजना के तहत सरकार उच्च आयात मूल्य वाले मध्यवर्ती रसायनों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है। केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया और राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने पहले संकेत दिया है कि सरकार के पास रसायन क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 24.11.2022)

बिहार में हर साल 600 मेगावाट बढ़ेगी बिजली की खपत

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की ओर से किए गए सर्वे में हुआ खुलासा, बिहार में बिजली खपत का आंकड़ा साल-दर-साल बढ़ रहा

• इस साल 7 हजार मेगावाट आपूर्ति का आंकड़ा हो सकता है पार • सर्वे के अनुसार अगले 8 साल में दोगुनी होगी बिजली की खपत

राज्य में हर साल हो रही बिजली खपत में औसतन 600 मेगावाट की वृद्धि होगी। अगले तीन वर्षों में बिहार में बिजली की खपत नौ हजार मेगावाट पार कर जाएगी। जबकि अगले आठ वर्षों में राज्य में बिजली खपत मौजूदा वर्ष से दोगुनी हो जाएगी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की ओर से किए गए विद्युत सर्वे में यह खुलासा हुआ है।

"राज्य में अभी एक भी ऐसा गाँव नहीं है, जहाँ बिजली नहीं हो। हर इच्छुक उपभोक्ता को बिजली उपलब्ध कराई गई है। भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी राज्य सरकार तैयार है।" **– बिजेन्द्र प्रसाद यादव**, ऊर्जा मंत्री

वर्ष	अनुमानित खपत	वर्ष	अनुमानित खपत
2022	7472	2027	10715
2023	8051	2028	11473
2024	8066	2029	12272
2025	9314	2030	13114
2026	9996		(खपत मेगावाट में)

गैर परम्परागत बिजली पर भी काम : गैर परम्परागत बिजली पर भी काम हो रहा है। कैमूर में 1000 मेगावार पम्प स्टोरेज परियोजना पर काम जारी है। नेपाल के कोसी में बन रहे पनबिजली परियोजना से बिहार को एक हजार मेगवाट से अधिक बिजली मिलेगी। लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में 500 मेगावाट की सोलर बिजली इकाई पर काम जारी है। इसके अलावा सरकारी भवनों की छतों, उपभोक्ताओं की छतों पर भी रूफटॉप सोलर परियोजना से राज्य में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.11.22)**

सीएम उद्यमी योजना में आठ हजार नवउद्यमियों को दिये जायेंगे 10-10 लाख के रियायती लोन

• मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में ऑनलाइन आवेदन एक दिसंबर से
• वस्त्र व चमड़ा उत्पाद में इच्छुक उद्यमियों के लिए कोटा तय
• बियाडा में काम शुरू करने वाले उद्यमियों के लिए भी लक्ष्य तय
• इस लोन में पांच लाख रूपये बतौर अनुदान होंगे

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए एक दिसंबर से आवेदन लिये जायेंगे। योजना में आवेदन के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गये हैं। इस योजना के तहत इस साल आठ हजार नवउद्यमियों का 10–10 लाख रूपये के लोन दिये जायेंगे। इस लोन में पांच लाख रूपये बतौर अनुदान होंगे, जिन्हें उद्यमी को लौटना नहीं होगा, उद्योग विभाग की तरफ से जारी आधिकारिक जानकरी के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आठ हजार लोगों को लोन देने के निर्धारित लक्ष्य में से दो हजार उद्यमी वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग से संबंधित होंगे। दूसरी तरफ, बियाडा क्षेत्र के लिए भी लोन देने का कोटा तय है। इसका लक्ष्य एक हजार रखा गया है। बियाडा क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और वस्त्र यूनिट लगाने वालों को लोन देने की प्राथमिकता में रखा जायेगा। शेष 5000 सभी ट्रेड के लिए लोन दिये जायेंगे। हालांकि, सीएम उद्यमी योजना में अनुसूचित जाति, जन जाति, युवा, महिला की श्रेणियां पहले की तरह बनी रहेंगी।

उल्लेखनीय है कि यह योजना सभी वर्ग के लिए है। जानकारी के मुताबिक आवेदन के दौरान करेंट एकाउंट की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, लोन मंजूरी के बाद करेंट एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री, उद्यमी योजना में इस बार अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर फोकस होगा। इसी मकसद के मद्देनजर मशीन आधारित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए ही इस योजना में लोन दिया जायेगा। मशीन लगाने के लिए इस योजना में अधिकतम छह लाख रूपये दिये जायेंगे। इस राशि से मशीन खरीदना अनिवार्य रखा गया है। गौरतलब है कि 2021 में सीएम उद्यमी योजना में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 15986 लाभुकों का चयन हुआ था।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 11.11.2022)

राज्य विद्युत नियामक आयोग शुल्क तय करने के लिए बनायें नियम – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के बिजली नियामक आयोग को कानून के तहत तीन महीने के भीतर विधान बनाकर बिजली दरें तय करने के नियम और शर्तें तय करने को कहा। अदालत ने यह निर्देश एक फैसले में दिया जिसमें उसने

एक बिजली ट्रांसमिशन कंपनी की अपील खारिज कर दी। कंपनी ने बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीइएल) के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में अडाणी इलेक्ट्रिसिटी मुम्बई इन्फ्रा लि (एइएमआइएल) को बिजली ट्रांसमिशन का लाइसेंस दिये जाने के निर्णय को बरकरार था।

शीर्ष अदालत ने कहा, हम सभी राज्यों के विद्युत विनियामक आयोग को बिजली कानून की धारा 181 के तहत फैसले की तारीख से तीन महीने के भीतर शुल्क दर निर्धारित करने के नियम एवं शर्त को लेकर विधान बनाने का निर्देश देते हैं। कोर्ट ने कहा कि बिजली दरों के निर्धारण पर दिशानिर्देश तैयार करने में आयोग धारा 61 की बातों को ध्यान में रखेगा, जिसमें एनइपी (राष्ट्रीय बिजली नीति) और एनटीपीसी (राष्ट्रीय शुल्क नीति 2006) भी शामिल है।

ट्रिब्यूनल से खारिज हो चुकी है याचिका : विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण ने 18 फरवरी 2022 को एक बिजली ट्रांसमिशन कंपनी की याचिका खारिज कर दी थी। याचिका महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 21 मार्च, 2021 को बिजली ट्रांसमिशन का लाइसेंस अडाणी इलेक्ट्रिसिटी मुम्बई इन्फ्रा को दिये जाने के खिलाफ दायर की गयी थी। याचिका में कंपनी का कहना था कि एमइआरसी का अडाणी समूह की कंपनी को लाइसेंस देने का निर्णय शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अनुकूल नहीं था जो जनहित और वैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। **(साभार : प्रभात खबर, 24.11.2022)**

सूबे में निर्बाध और क्वालिटी बिजली के लिए खर्च किये जायेंगे 1315 करोड़

• 484 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को एडवांस उपलब्ध कराया है। • 684 करोड़ रुपये इस वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए ट्रांसमिशन कंपनी को स्वीकृति दी है।

सूबे की बिजली संचरण व्यवस्था को दुरुस्त करने यानि नये ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण तथा पुराने लाइनों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण पर राज्य सरकार करीब 1315 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यह राशि भारत सरकार द्वारा ऊर्जा प्रक्षेत्र में स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत 1687.79 करोड़ रुपये से खर्च होंगे। इस स्वीकृत राशि का 50 फीसदी यानी करीब 844 करोड़ रुपये भारत सरकार ने राज्य को विमुक्त कर दिया है, जिसमें से 484 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को एडवांस उपलब्ध कराया है। इससे बिजली हानि कम होगी ही, उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तायुक्त बिजली भी मिल सकेगी।

20 फीसदी निवेश को मंजूरी : राज्य सरकार ने भारत सरकार से इसके लिए प्राप्त राशि में से 684 करोड़ रुपये इस वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए ट्रांसमिशन कंपनी को स्वीकृति दी है। इससे पहले भी ट्रांसमिशन कंपनी को तीन किस्तो में करीब 89 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है। मालूम हो कि इस परियोजना पर खर्च होने वाली कुल राशि का 20 फीसदी यानी 163.47 करोड़ रुपये पूंजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80 फीसदी अर्थात 653.88 करोड़ रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। **(साभार : प्रभात खबर, 24.11.22)**

राज्य में गुड़ उद्योग के विकास की नीति बनेगी

बिहार में गुड़ उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए गुड़ उद्योग के विकास की नीति बनेगी। इसके तहत गुड़ आधारित उद्योगों की स्थापना करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। गन्ना उद्योग विभाग गुड़ उद्योग के विकास की नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी में जुटा है।

सूत्रों ने बताया कि राज्य में बेहतर औद्योगिक माहौल बनाने एवं स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में गुड़ उद्योग का विकास सहायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए गुड़ उद्योग नीति बनाने की दिशा में पहल की गई है। इस प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की भी मंजूरी प्राप्त की जाएगी। राज्य में चीनी मिलों की संख्या बढ़ाने की जगह छोटे उद्योगों को प्रमुखता दी जाएगी। मंत्री गन्ना उद्योग विभाग आलोक कुमार मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर गुड़ उद्योगों के विकास की नीति बनाने की पहल की गई है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 20.11.2022)**

बिजली कंपनियों में भ्रष्टाचार की शिकायत को हेल्पलाइन नंबर जारी

बिजली कंपनियों से जुड़े कार्यालयों में भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी की शिकायत अब सीधे हेल्पलाइन नम्बर या इ-मेल पर की जा सकेगी। इसके लिए पाँचों कंपनियों में निगरानी कोषांग का गठन करते हुए संबंधित कंपनी के महाप्रबंधक (मानव संसाधन/प्रशासन) को मुख्य निगरानी पदाधिकारी बनाया गया है। बिजली कंपनी के मुताबिक निगरानी विभाग के संकल्प के तहत पावर होल्डिंग कंपनी सहित इसकी सहयोगी चारों कंपनियों में यह प्रावधान किया गया है।

कंपनी	हेल्पलाइन नंबर	इ-मेल आईडी
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कं.	0612-2505559	cvo.bsphcl@gmail.com
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं.	0612-2504745	nbpdclgmhr@gmail.com
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं.	7763813831	gmhrsbpdcl01@gmail.com
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं.	7763817975	gmhrbstpcl@gmail.com
बिहार स्टेट पावर जेरनेशन कं.	9262791394	cvo.bspgcl@gmail.com

(साभार : प्रभात खबर, 25.11.2022)

जीविका के पैकेटबंद दही का इस माह से स्वाद चखेंगे उपभोक्ता

कोसी-मिथिला और सीमांचल हमेशा से दही प्रेमी क्षेत्र रहा है। खासकर कोसी और मिथिला क्षेत्र उत्पादन और खपत के मामले में बिहार में श्रेष्ठ है। सो दूध व्यवसाय में कामयाबी के बाद जीविका दीदियों ने जनता के स्वाद को ध्यान में रखते हुए दही उत्पाद के बाजार में कदम रखा है। जीविका का 5 और 15 किलो का पैकेटबंद दही इसी माह सहरसा बाजार में आयेगा। सहरसा की जीविका संगठन ने कौशिकी दही नाम से बाजार में उतारने का निर्णय लिया है। सूबे का पहला जिला सहरसा होगा जहाँ की जीविका दही बिक्री कारोबार के क्षेत्र में उतरेंगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 20.11.2022)**

मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का शुरू होगा निर्माण

जीपीओ के पास (बकरी बाजार) बनने वाले मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण अगले माह से शुरू होने की संभावना है। लगभग पाँच एकड़ में जी प्लस टू मंजिला भवन बनना है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की देखरेख में इसका निर्माण होना है।

ग्राउंड फ्लोर पर रहेगी बसों की पार्किंग : ट्रांसपोर्ट हब में ग्राउंड फ्लोर पर नगर बस सेवा की बसों की पार्किंग रहेगी। इसमें 32 बसों के अलावा 10 इलेक्ट्रिक बसें लगेंगी, इनके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज प्वाइंट रहेगा। ग्राउंड फ्लोर पर बसों के रूट का ऑटोमेटिक डिस्प्ले कैफेटेरिया व छोटे-छोटे दुकानों का इंतजाम रहेगा। पहली मंजिल पर ऑटो रिक्शा, इ-रिक्शा, भाड़े की टैक्सी के लिए जगह तय रहेगी। दूसरे मंजिल पर निजी वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। पटना जंक्शन जाने-वाले यहाँ वाहन पार्किंग कर सब-वे से जंक्शन पहुँच जायेंगे। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 22.11.2022)**

बिहार में फिल्म निर्माण को मिलेगा उद्योग का दर्जा

बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। फिल्म निर्माण क्षेत्र को भी उद्योग का दर्जा दिया जायेगा ताकि फिल्म निर्माण में लगे लोगों को भी उद्योग की तरह सब्सिडी, सिंगल विंडो सिस्टम व दूसरे सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए राज्य सरकार ने नयी फिल्म पॉलिसी बनायी है। जल्दी ही फिल्म पॉलिसी से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 22.11.2022)

पटना में चलेंगी 25 सीएनजी एसी बसें

पटना के लोग अब सीएनजी एसी बसों में सफर कर सकेंगे। गाँधी मैदान से पटना सिटी और दानापुर होते बिहटा तक 25 सीएनजी एसी बसें चलेंगी। रजिस्ट्रेशन और परमिट का काम चल रहा है। जनवरी तक परिचालन की शुरूआत की तैयारी है। परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक सीएनजी एसी बस का न्यूनतम किराया 11 रुपए लगेगा। नॉन एसी सीएनजी बस का न्यूनतम किराया 6 रुपए है। चार कि.मी. से अधिक दूरी तय करने पर नॉन एसी बस की तुलना में एसी बस से सफर करने पर 7 से 8 रुपए अधिक लगेंगे। गाँधी मैदान से पटना जंक्शन का 11, दानापुर का 35, जीरोमाइल का 30 और सगुना मोड़ का 31 रुपए किराया लगेगा। सीएनजी एसी बस में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। ड्राइवर सीट और अंतिम यात्री सीट के पास सीसीटीवी कैमरा लगा है। किसी तरह की अनहोनी होने पर इमरजेंसी बटन का इस्तेमाल कर सकती हैं। सीसीटीवी कैमरा और इमरजेंसी बटन की मॉनिटरिंग ऑनलाइन होगी। इसकी सूचना सीधे प्रशासन के पास जाएगी।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 22.11.2022)

भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार को मंजूरी

उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताया कहा - 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुँचेगा

ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को मंजूरी दे दी। इससे कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत के छह हजार से अधिक उत्पादों को शुल्क मुक्त पहुँच मिल सकेगी।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। समझौता लागू करने की समय सीमा तय नहीं की गई है। दोनों देश मिलकर जल्द इस पर फैसला करेंगे। हालांकि, इसके जनवरी 2023 में अमल में आने की उम्मीद है।

देश को क्या लाभ : • समझौता लागू होने के पहले दिन से ऑस्ट्रेलिया 96.4 प्रतिशत निर्यात के लिए भारत को शून्य सीमा शुल्क पहुँच की पेशकश करेगा। इसमें कई उत्पाद ऐसे हैं जिन पर 4-5% सीमा शुल्क वसूलता है • कपड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित 6,000 से अधिक उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुँच मिलेगी • ऑस्ट्रेलिया अपने बाजार में घरेलू आईटी कंपनियों की वजह से दोहरे कराधान का सामना कर रहे भारतीय आईटी कंपनियों के मुद्दे हल करने पर भी सहमत हो गया है • ऑस्ट्रेलियाई नियामक भारतीय दवाओं के इस्तेमाल को मंजूरी देंगे, वह भारत की फार्मा-स्यूटिकल्स और विनिर्माण सुविधाओं के मूल्यांकन प्रक्रिया में कनाडा-यूरोपीय संघ के साथ शामिल रहेगा।

कारोबारियों को लाभ : • ऑस्ट्रेलिया से निवेश बढ़ेगा। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिवस, फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में उच्च मूल्य वाले उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा • भारत के कई उद्योगों को सस्ता कच्चा माल मिलेगा जिससे स्टील, एल्यूमिनियम और गारमेंट क्षेत्र को फायदा होगा • दोनों देशों के बीच चल रहे टैक्स विवाद हल हो जाएँगे। इससे 200 मिलियन डॉलर की बचत होगी।

इन क्षेत्रों को सीधा फायदा : • टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योग • कृषि और मछली उत्पाद • चमड़ा, चप्पल और फर्नीचर • इंजीनियरिंग उत्पाद • फार्मा और मेडिकल उत्पाद • ज्वैलरी • फर्नीचर और खेलकूद के सामान।

10 लाख जॉब का अनुमान : • भारत में इस समझौते के बाद 10 लाख अतिरिक्त नौकरियाँ पैदा होने का अनुमान • ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के लिए नौकरी के मौके बढ़ेंगे • विदेशी मुद्रा भारत आने की संभावना भी बढ़ेगी • छात्रों को पढ़ाई के बाद वर्क वीजा आसान हो जाएगा • इससे एक लाख से ज्यादा भारतीय छात्रों को फायदा होगा।

क्या है मुक्त व्यापार करार : दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात-निर्यात शुल्क को कम करने या समाप्त करने के लिए यह समझौता किया जाता है। इसके तहत संबंधित देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार बहुत कम या बिना किसी टैरिफ बाधाओं के किया जा सकता है। समझौतों में केवल एक निश्चित संख्या में टैरिफ लाइनों पर टैरिफ को कम किया जा सकता है जबकि इसमें ज्यादातर उत्पादों पर शून्य शुल्क भी लागू करना संभव है।

"ऑस्ट्रेलिया अपनी शत-प्रतिशत लाइन (उत्पाद) खोलेगा जिसमें हमारे उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं होगा। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने किसी देश के लिए ऐसा किया है। निवेश आने का मतलब है कि हमारे यहाँ रोजगार के अवसर खुलेंगे।"

– पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 23.11.2022)

कौशल विकास केन्द्रों को जनवरी तक लगाना होगा प्रीपेड मीटर

श्रम संसाधन विभाग ने कौशल विकास केन्द्रों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इन केन्द्रों की निगरानी अब बिजली खपत के आधार पर की जाएगी। इसके लिए विभाग ने सभी केन्द्रों को कहा है कि वह जनवरी 23 तक हर हाल में प्रीपेड मीटर लगवा लें। वहीं, प्रीपेड मीटर लगने तक केन्द्रों को बिजली बिल की राशि समायोजित करने के बाद ही अनुदान दिया जाएगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 22.11.2022)

अब 20 किमी के दायरे में ले सकते हैं अनारक्षित टिकट

रेल के अनारक्षित टिकट के लिए अब टिकट काउंटर पर कतार लगाने की जरूरत नहीं है। घर से निकलने के पहले यूटीएस एप के माध्यम से टिकट लिया जा सकता है। पहले स्टेशन से पाँच किलोमीटर की परिधि में रहने वाले ही इसका लाभ ले सकते थे। अब इसका विस्तार कर दिया गया है। यात्री जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी में सवार होना चाहते हैं, उसके 20 किलोमीटर के दायरे में टिकट कटा सकते हैं। पटना जंक्शन से यात्रा करने वाले दीघा, आशियाना, राजीव नगर के निवासी टिकट नहीं कटा पाते थे। अब टिकट कटाने में परेशानी नहीं होगी।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 23.11.2022)

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए शहरों में चार्जिंग स्टेशन की होगी व्यवस्था

जिस तरह से शहरों में ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हेकिल की संख्या बढ़ी है उसे ध्यान में रख बिजली कंपनी अब शहरी क्षेत्रों में ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन शुरू करने की तैयारी में है। बिजली कंपनी के सीएमडी संजीव हंस ने इस बारे में पूछे जाने पर बताया कि ईवी को चार्ज किए जाने को ले किस तरह का टैरिफ लगेगा, इसे भी बिजली कंपनी ने तय कर दिया है। ईवी का चार्जिंग शुल्क बिजली की जो वाणिज्यक दर है उस आधार पर प्रति यूनिट के हिसाब से तय होगा। वर्तमान में बिहार में सार्वजनिक रूप से एक भी ईवी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। निजी स्तर पर लोग अपने ईवी को चार्ज कर रहे।

परिवहन विभाग से बिजली कंपनी को स्थल बताए जाएँगे : बिजली कंपनी अपने स्तर से ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन की पूरी आधारभूत संरचना को विकसित करेगा, पर इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा स्थल चयनित किए जाने हैं।

फ्रेंचाइजी मोड में दिए जा सकते हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन : ऐसी संभावना है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन फ्रैंचाइजी मोड में दिए जा सकते हैं। संबंधित फ्रैंचाइजी को बिजली की खपत के हिसाब से भुगतान करना है। खपत के आधार पर ही लोड भी तय होगा। फ्रैंचाइजी की शर्तें बिजली कंपनी के स्तर पर तय होंगी।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 23.11.2022)

मनमाने तरीके से नहीं बढ़ेगी प्लेटफार्म टिकट की कीमत

रेल मंत्रालय ने प्लेटफार्म टिकट की कीमत मनमाने तरीके से बढ़ाने पर रोक लगा दी है। साथ ही डीआरएम से कीमत तय करने का अधिकार भी तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। प्लेटफार्म टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी भी वापस ले ली गई है। लोगों को अब पहले की तरह 10 रुपये में प्लेटफार्म टिकट मिलते रहेंगे।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 5.11.2022)

आवश्यक सूचना

केन्द्र सरकार ने थोक एवं बड़े खुदरा विक्रेताओं को खाद्य तेलों और तिलहन पर स्टॉक होल्डिंग सीमा से छूट दी है।

उक्त संबंध में Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की प्रति माननीय सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

MAJOR MODIFICATION IN THE STOCK LIMIT ORDER IN RESPECT OF OILS AND OILSEEDS

WHOLESALERS AND BIG CHAIN RETAILERS EXEMPTED FROM THE STOCK LIMIT ORDER WITH IMMEDIATE EFFECT

EXEMPTION WOULD BENEFIT THE CONSUMERS ALSO AS THE WHOLESALERS AND BIG CHAIN RETAILERS WOULD BE ABLE TO KEEP MORE VARIETIES/BRANDS

Posted On: 01 NOV 2022 8:41PM by PIB Delhi

In a consistent effort to cool down the domestic prices of Edible Oils, Government of India had issued a landmark order imposing stock limits on the oil and oilseeds put together through the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2021 effective from 08.10.2021. Under this Order, the ceiling of stock limit quantity was left to be decided by the respective States/Union Territories on the basis of available stock of oil and oilseeds and consumption pattern of the respective State/Union Territory. Subsequently, the stock limit quantities on edible oils and oilseeds was prescribed uniformly for all states and Union Territories and the order was extended upto 30th June, 2022 vide Order dated 3rd February, 2022. Later, the order was further extended upto 31.12.2022 vide Central Order dated 30th March, 2022.

The Stock Limit Order was imposed in the country due to increasing prices of edible oils both in international as well as domestic market. Its high volatility was leading to hoarding, profiteering & black marketing at that time. This timely intervention by the Government had led to significant decline of the skyrocketing prices and had helped to keep a check on the hoarding, especially soyabean seeds.

It may be mentioned here that the stock limit for wholesalers and big chain retailers were based on the limits specified in the stock limit imposed in the year 2008 and it was a conscious decision to keep the quantities less. Further, at that time, big chain retailers did not exist or play any major role as compared to today.

As the price situation of major edible oils is now witnessing a gradual reversal as there is considerable decline in the prices of edible oil in the international market as well as the domestic market, the stock limit order was reviewed by the department. A need was felt for exempting big chain retailers and wholesalers from the stock control order as reports were coming that Wholesalers and big chain retail outlets were facing problems in their sale due to the Control Order as the limits specified for them was very less and replacement of shelf stocks in city limits is not possible on everyday basis.

Therefore, in a major move to further make the supply chain seamless, the Government has on Tuesday issued notification for exempting the category of Wholesalers and Big Chain retailers from the current Stock Limit order. The order will come into effect immediately.

The removal of wholesalers and big chain retailers from the stock limit order would allow them to keep various varieties and brands of edible oils, which they are unable to keep at present due to stock control order.

In view of restoration of ample supplies and continuous decline in the prices of edible oils both in the international as well as domestic market, it was an opportune time for exemption of wholesalers and Bulk consumers (big chain retailers shops) from the stock limit control order. The removal will also have a positive effect on the oilseed prices as it will boost procurement of the oilseeds hereby increasing the returns of domestic oilseeds growing farmers.

***

AD/KP/PD
(Release ID : 1872841)

आवश्यक सूचना

केन्द्र सरकार ने चीनी के निर्यात (Export) पर प्रतिबंध को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया है। अब यह प्रतिबंध 31 अक्टूबर 2023 तक रहेगा।

उक्त संबंध में Ministry of Commerce & Industry द्वारा जारी गजट अधिसूचना S.O.5071 (E) दिनांक 28 अक्टूबर 2022 की प्रति माननीय सदस्यों के सूचनार्थ उद्धृत है :-

भारत राजपत्र
The Gazette of India
सी. जी.- डी. एल. - अ. 29102022-239945
CG-DL-E- 29102022-239945
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II - खण्ड 3- उप-खण्ड (II)
PART II - Section 3- Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4853 नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 28, 2022/कार्तिक 06, 1944
No. 4853 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 2022/ KARTIKA 06, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2022
सं. 40/2015-2020

विषय : दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 के बाद चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध हेतु तिथि को बढ़ाने के संबंध में।

का. आ. 5071 (अ) - विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार दिनांक 24 मई, 2022 की अधिसूचना सं. 10/2015-20 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा एचएस कोड 1701 14 90 और 1701 99 90 के तहत चीनी (खांड, रिफाइंड चीनी, सफेद चीनी) के निर्यात पर प्रतिबंध की तिथि को 31 अक्टूबर, 2022 से आगे 31 अक्टूबर, 2023 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो बढ़ाती है।

2. संबंधित सार्वजनिक सूचना में यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीएक्सएल और टीआरक्यू कोटा के तहत ईयू और यूएसए को निर्यात किए जा रहे चीनी के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव।

चीनी (खांड, रिफाइंड और सफेद चीनी) के निर्यात पर प्रतिबंध दिनांक 31.10.2022 से आगे 31.10.2023 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो बढ़ाया जाता है। अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(फा. सं. 01/91/180/879/ एम08/ईसी/वॉल्यूम, 8/ई-20749 से जारी)

संतोष कुमार सारंगी

महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

RECORD 1 MILLION TONNES REFINED SUGAR EXPORTS LIKELY THIS YEAR

As India has allowed export of 60 lakh tonnes of sugar, for the first time ever, the country is likely to export a record 10 lakh tonnes of refined sugar. The industry and the trade are also confident about exporting 60 lakh tonnes of sugar by March and have demanded a second tranche of 30 lakh tonnes of sugar export quota.

India announced its 2022-23 sugar export quota on Saturday. Traditionally, India has been known to export lower grade white sugar and raw sugar. However, this year, the premium quality refined sugar exports are expected to jump.

"So far India has signed export contracts for 25 lakh tonnes of sugar. This year, the export of refined sugar is expected to be around 10 lakh tonnes," said Aditya Jhunjhunwala, President, Indian Sugar Mills Association (IS-MA).

(Detail : E.T. (New Delhi), 8.11.2022)

GOVT STARTS REVIEW OF STEEL, RICE EXPORT CURBS

With prices cooling down and domestic supply improving, the government is reviewing export checks, including on steel and rice that had been imposed over the last few months. While the commerce and industry ministry, which had pushed for the export duty on steel, has taken up the matter with the finance ministry, a final decision is yet to be taken, official sources told TOI. The proposal has also been supported by the steel ministry as domestic players are also complaining about the adverse impact, especially with the bottomlines of some of the large companies getting impacted.

Similarly, a group of ministers will decide on whether the ban on the export of broken rice should be eased or continue after factoring in the procurement of paddy across the country. According to official data., up to the end of October, procurement of paddy by Food Corporation of India and state agencies had topped 170 lakh tonnes.

With new supply coming into the market, the price situation is expected to ease, prompting a review by the panel of ministers. "The overall assessment is yet to be done," an officer said.

(Detail : T. O. I, 8.11.2022)

40 हजार से अधिक खुदरा दवा विक्रेता रडार पर

राज्य में दवाओं की कालाबाजारी और मनमानी कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने केन्द्र सरकार के निर्देश के बाद मूल्य अनुश्रवण एवं संसाधन इकाई (पीएमआरयू) का गठन कर दिया है। गठन के साथ ही कमेटी को प्रभावी भी कर दिया गया है। पीएमआरयू की अध्यक्षता का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को साँपा गया है। अमृत के अलावा इकाई में छह सदस्य भी मनोनीत किए गए हैं। यह इकाई औषधि नियंत्रण निदेशालय के तहत काम करेगी।

पीएमआरयू के पूरी तरह सक्रिय होने के बाद राज्यभर में दवाओं की दुकान इस इकाई के रडार पर होंगी। इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ताओं को सही कीमत पर दवाओं की आपूर्ति हो रही है या नहीं। साथ ही दवाओं के बड़े कारोबारियों पर भी इकाई की नजर रहेगी ताकि दवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगे। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 40 हजार से अधिक खुदरा दवा विक्रेता हैं। पीएमआरयू के पूरी तरह सक्रिय होने के बाद ऐसा करने पर मामूली शिकायत मिलने पर संबंधित दवा दुकानदारों पर कारवाई करने को स्वतंत्र होगी।

(विस्तृत : आज, 22.11.2022)

हर रोज 43 लाख लीटर से अधिक दूध का प्रसंस्करण हो सकेगा, किसानों को होगा लाभ

बिहार में छह लाख लीटर दूर प्रसंस्करण के दो प्लांट तैयार

बिहार में छह लाख लीटर दूध प्रसंस्करण के दो प्लांट तैयार हो गए हैं। नई यूनिटों में सीतामढ़ी की दूध प्रोसेगिंग यूनिट है। इसकी प्रसंस्करण क्षमता रोजाना चार लाख लीटर की है। वहीं पूर्णिया में भी नई प्रोसेसिंग यूनिट बनाई गई है। इसकी प्रसंस्करण क्षमता रोजाना दो लाख लीटर की है। जबकि भागलपुर में अवस्थित दूध प्रोसेसिंग यूनिट की क्षमता दोगुनी की गई है। अब तक इस यूनिट से हर रोज मात्र एक लाख लीटर दूध की ही प्रोसेसिंग हो रही थी। अब इसकी क्षमता बढ़ाकर दो लाख लीटर रोजाना कर दी गई है। इन तीनों यूनिटों में दूध प्रोसेसिंग क्षमता विकसित होने से राज्य के लगभग एक लाख किसानों को लाभ होगा। इतने किसान अब सहकारी समितियों के माध्यम से अपने दूध की बिक्री कर सकेंगे।

• **सीतामढ़ी :** यहाँ दूध प्रोसेसिंग यूनिट की क्षमता रोजाना चार लाख लीटर • **पूर्णिया :** यहाँ के प्लांट में रोजाना दो लाख लीटर दूध का होगा प्रसंस्करण • **भागलपुर :** डेयरी प्लाट की क्षमता भी दोगुनी हो चुकी है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 21.11.2022)

राजमार्गों के सर्विस रोड पर हादसे रोकने के लिए तय होगी गति सीमा

बेहतर हो रहे सड़क नेटवर्क के बीच हादसों को रोकना भी चुनौती बन गया है। खासकर मिश्रित वाहनों वाली सड़कों पर सबसे ज्यादा हादसे हो रहे हैं। इन्हीं को देख नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्विस रोड पर वाहनों की गति सीमा कम करने का फैसला लिया है।

वर्तमान में कुछ सर्विस रोड पर 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति सीमा है, जिसे घटाकर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा। जहाँ सर्विस रोड के किनारे आबादी और बाजार हैं, वहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा रहेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर इसे लागू किया जाएगा।

हादसे रोकने में मदद मिलेगी : • 4.03 लाख देश में कुल सड़क दुर्घटनाएँ • 20% सर्विस रोड पर कुल हादसे • 1.55 लाख कुल लोगों की मौतें • 50% कुल मौतों में पैदल और बाइक चालक • 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी व्यस्त सर्विस लेन पर • 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति होगी खुली सर्विस रोड पर

ये इंतजाम मी होंगे : • वाहन गति सीमा का पालन करें, इसके लिए पुलिस की निगरानी बढ़ानी होगी। • ऐसे में सड़क किनारे का सभी तरह का अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। • वाहन उल्टी दिशा में न चलें, इसके लिए दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की सीमा में सर्विस रोड और अन्य क्षेत्र में 182 कैमरे लगाए जाएंगे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 24.11.2022)**

राज्य के न्यायालयों में 31 ई-सेवा केन्द्र हुए शुरू

सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने पटना हाईकोर्ट में कई सेवाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। चार पेपरलेस कोर्ट सहित जस्टिस क्लॉक और ई-जस्टिस क्लॉक, महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए वेबसाइट, क्रेच और शी-बॉक्स तथा बिहार के जिलों, अनुमंडल और पंचायत में कुल 31 ई-सेवा केन्द्रों का उद्घाटन हुआ।

बिहार के विभिन्न न्यायालयों में जिला स्तर पर 29 ई-सेवा केन्द्र तथा

दानापुर अनुमंडल और पूर्णिया जिले के बैसी पंचायत में एक-एक ई-सेवा केन्द्र का उद्घाटन भी हुआ। पटना हाईकोर्ट के प्रांगण में जस्टिस क्लॉक के साथ ही वर्चुअल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन डिजिटल न्यायपालिका की ओर बेहतर कदम है। ई सेवाएँ से केस की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, निर्णय और आदेशों की प्रतियाँ प्राप्त करना, प्रमाणित प्रतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने जैसी सुविधा मिलेगी। ई-सेवा केन्द्र से लोगों का मार्गदर्शन भी किया जायेगा। मुफ्त कानूनी सलाह कैसे प्राप्त करें, इस बारे में जानकारी दी जायगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 25.11.2022)

दुनिया में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा आसान करेंगे जलमार्ग

अधिक लागत के बोझ के कारण विश्व बाजार की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने वाले भारतीय उत्पादों के लिए संभावानाओं के नए द्वार खोले जा रहे हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने ढुलाई लागत यानी लाजिस्टिक कॉस्ट को 13 से घटाकर आठ प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है तो पीएम गतिशक्ति योजना के तहत पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने उसके लिए रोडमैप बनाकर काम तेज कर दिया है। रेल और सड़क मार्ग से माल परिवहन पर निर्भरता कम करते हुए कुल 109 नदियों पर 111 जलमार्ग का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य बनाया गया है।

ये है लाजिस्टिक कास्ट में अंतर : • रेलमार्ग से ढुलाई लागत एक रुपया आएगी तो उसकी तुलना में जलमार्ग से मात्र 70 पैसा • सड़क मार्ग से ढुलाई लागत एक रुपया आयेगी, उसकी तुलना में जल मार्ग से 20 पैसा मात्र।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 14.11.2022)

जे. पी. गंगा पथ पर अब लगेगा टोल टैक्स

2500 करोड़ का कर्ज टोल टैक्स से वसूला जाएगा • राजापुर के निकट टोल प्लाजा का निर्माण कार्य है जारी

अब तक बिना टोल टैक्स दिए जेपी गंगा पथ पर बेधड़क चलने वाले लोगों को अब इसके लिए पैसे चुकाने होंगे, जेपी सेतु पर फर्राटा भरने के लिए जल्द ही टैक्स चुकाना पड़ेगा। राजापुर के निकट टोल-प्लाजा का निर्माण चल रहा है। आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) से सरकार ने इस पथ के निर्माण के लिए करीब 2500 करोड़ रुपये कर्ज लिया है। कर्ज की अदायगी यात्री और व्यावसायिक वाहनों से टोल के रूप में वसूली जाने वाली राशि से की जाएगी।

(विस्तृत : आईनेक्स्ट, 2.11.2022)

ट्रेनों में सामान्य व स्लीपर कोच घटकर रह गए आधे

अधिक कमाई के लिए रेलवे लगा रहा एसी कोच

• अधिकतर ट्रेनों में सामान्य कोच छह से आठ हुआ करते थे, अब घटकर रह गए चार • दिल्ली की ट्रेनों में रोज 500 से अधिक वेटिंग टिकट वाले यात्री फर्श पर बैठ करते हैं यात्रा

ट्रेनों में सामान्य व स्लीपर कोच घटने से बड़ी संख्या में आम यात्रियों को बोगियों के फर्श पर यात्रा करनी पड़ रही है। स्लीपर व सामान्य कोच की जगह पर ट्रेनों में एसी कोच लगाए जा रहे हैं। तीन गुना अधिक किराया होने के कारण आम यात्री एसी कोच में सफर करने में सक्षम नहीं हैं। वे स्लीपर में वेटिंग टिकट के अलावा सामान्य कोच में अमानवीय तरीके से यात्रा करने के लिए विवश हैं।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 12.11.2022)

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का फुलवारीशरीफ या बिहटा में बनेगा स्टेशन

350 किमी की रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूट का सर्वे शुरू हो गया है। केन्द्र सरकार की कंसल्टेसी द्वारा सर्वे किया जा रहा है। बिहार में तीन जगहों पर स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। इनमें बक्सर, पटना और गया शामिल हैं। यह रूट पूरी तरह से एलिवेटेड होगा।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 11.11.2022)

विक्रमशिला के समानान्तर सेतु को हरी झंडी

• 16.50 करोड़ रुपये निर्माण कंपनी ने कैंपा फंड में जमा कराए

• 995 करोड़ के टेंडर को केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय ने दी थी मंजूरी

भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला पुल के समानांतर बनने वाले फोरलेन पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पुल निर्माण के लिए वन्य प्राणी स्वीकृति मिल गयी है। संबंधित कंपनी ने इसके लिए आवश्यक 16.50 करोड़ रुपये कैंपा फंड में जमा भी करा दिया है। केन्द्र की मंजूरी के बाद वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है।

पानी का जहाज पार करने लायक जगह होगी : बनने वाले इस पुल के नीचे से पानी का जहाज आसानी से पार कर जाए, इसके लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त चौड़ा स्पेस (जगह) दिया जाएगा। इसका स्पैन 100 मीटर लंबा होगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 10.11.2022)

पटना में शुरू नहीं हुई स्मार्ट पार्किंग, एजेंसी को नोटिस

पटना नगर निगम की ओर से शहर को स्मार्ट और ट्रैफिक फ्री बनाने के उद्देश्य से स्मार्ट पार्किंग की सुविधा 15 अगस्त से मिलनी थी। अभी तक एक भी वाहन पार्किंग स्मार्ट सुविधाओं के साथ शुरू नहीं हो पायी है।

निजी एजेंसी की ओर से की गई लापरवाही और समय पर काम नहीं पूरा करने के कारण नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने एजेंसी को नोटिस भेजा है। साथ ही 15 नवंबर तक काम पूरा करने का अंतिम समय दिया गया है। इस समय तक पार्किंग शुरू नहीं हुई तो एजेंसी पर कारवाई होगी। पहले चरण में ट्रांसपोर्ट नगर, मौर्यालोक परिसर , बोरिंग कैनाल रोड, राजधानी वाटिका, एसके पुरी पार्क के पास पार्किंग स्थलों पर नगर निगम की ओर स्मार्ट सुविधा देने की योजना थी। पटना नगर निगम और निजी एजेंसी के बीच एकरारनामा हुआ था कि समय पर निगम क्षेत्र की सभी 37 पार्किंग स्थालो को स्मार्ट बनाना है। साथ ही पार्किंग की देखभाल एजेंसी करेगी।

यहाँ मिलनी हैं स्मार्ट पार्किंग की सुविधा : विद्युत भवन के सामने, बीएन कॉलेज, अशोक राजपथ, डाकबंगला चौराहा, मारूती शोरूम के पास, पेसू और पीएचईडी कार्यालय के पास, पुल निर्माण निगम कार्यालय के पास, श्रीकृष्ण पुरी पार्क के पास, राजधानी वाटिका गेट संख्या 2 और 3 के सामने, सहदेव महतो मार्ग, माउंट कार्मेल स्कूल से लेकर पटना वीमेंस कॉलेज तक, मौर्यालोक कॉम्पलेक्स, महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स के सामने, हड़ताली मोड़ से बोरिंग रोड चौराहा, महावीर मंदिर के सामने, ट्रक स्टैंड, ट्रांसपोर्ट नगर, राजेंद्र नगर ओवरब्रिज से सेंट्रल स्कूल, मुन्ना चौक से कुम्हरार टोली तक, एसबीआई कंकड़बाग, टेम्पू स्टैंड कंकड़बाग।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान 09.11.2022)

शहर के सबसे पुराने मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स परिसर में अब लगेगा पार्किंग शुल्क

• वर्षों से चल रही निशुल्क पार्किंग व्यवस्था होगी समाप्त, वाहनों को रोकने के लिए लगाए बैंबू बैरियर

• शुल्क का निर्धारण किया, मॉनिटरिंग के लिए कमांड सेंटर बना

शहर के सबसे पुराने मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स में आने वाले वाहनों से अब पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा। अभी तक इस परिसर में आने-जाने वाले लोगों को अपने वाहनों की पार्किंग के लिए कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं थी। नगर निगम ने इस परिसर में स्मार्ट पार्किंग की नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। कॉम्प्लेक्स परिसर में प्रवेश व निकास के लिए चौतरफा पांच गेट बनाए गए हैं। सभी गेटोंपर बैंबू बैरियर्स लगा दिए गए हैं। परिसर में करीब 400 से अधिक चार पहिया और 300 से अधिक दो पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्पेस तैयार किया गया है। इसके अनुसार ही पार्किंग संचालन वाली एजेंसी ने ड्राइंग डिजाइन तैयार किया है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 09.11.2022)

फरवरी से ट्रैफिक नियम तोड़ा तो घर पहुंच जाएगा चालान

राजधानी में नये साल से 2588 कैमरे से शुरू हो जायेगी निगरानी

नया वर्ष 2023 को शुरूआत में राजधानी का यातायात सिस्टम पूरी तरह स्वचालित हो जाएगा। फरवरी से आटोमेटिक तरीके से चालान कटना शुरू हो जाएगा। विशेष उपकरण की मदद से यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान 11.11.2022)**

अतिक्रमण और जाम से दुकानों में ग्राहकों की संख्या हो गई आधी

पटना जंक्शन पर सुबह से लेकर देर शाम तक लगातार जाम नई बात नहीं है। लगातार जाम का खामियाजा राजधानीवासियों के साथ–साथ पटना न्यू मार्केट के दुकानदार भुगतने को विवश हैं। दुकानदारों की ग्राहकी टूटने लगी है। जाम के कारण अब न्यू मार्केट की दुकानों में ग्राहक आना नहीं चाहते। न्यू मार्केट दुकानदार कल्याण समिति के अध्यक्ष राज कुमार बताते हैं कि पहले न्यू मार्केट स्थित दुकानों में प्रतिदिन लगभग आठ से दस हजार ग्राहकों का आना–जाना था। यह लगातार जाम रहने से गिरकर साढ़े चार से पाँच हजार तक सिमट गया है। यहाँ कई दुकानों में शाम को 'बोहनी' हो रही है। इलाके का कारोबार मंदी के चपेट में है। न्यू मार्केट में छोटी–बड़ी दुकानों की संख्या साढ़े तीन हजार से ज्यादा है। 740 दुकानें तो न्यू मार्केट दुकानदार कल्याण समिति में निबंधित हैं। पटना जंक्शन पर पहुंचने वाले व्यावसायिक वाहनों का परिचालन बुद्धमार्ग होते हुए जून में किया गया है।

न्यू मार्केट के दुकानदार राजा सुमन सिकदर कहते हैं कि बुद्धमार्ग से व्यावसायिक वाहनों का परिचालन शुरू करने के बाद न तो ट्रैफिक विभाग द्वारा, न ही जिला प्रशासन की ओर से लगने वाले जाम की समीक्षा की गई। इससे परेशानी बढ़ रही है। पटना जंक्शन गोलंबर और इसके आसपास के इलाकों के ट्रैफिक लोड का अध्ययन आई.आई.टी., एन.आई.टी, जैसे स्तरीय संस्थानों से कराकर ट्रैफिक रूट निर्धारण की माँग स्थानीय दुकानदार कर रहे हैं। दुकानदार कौशल पटावरी कहते हैं कि पटना जंक्शन और इसके आसपास का इलाका राजधानी का चेहरा है।

जाम से छिन रही रोजी–रोटी, आय हो रही है प्रभावित : यहाँ की दुकानों से लगभग पाँच से छः हजार परिवारों की रोजी–रोटी का इंतजाम होता है। लगातार जाम के कारण दुकानों की आय प्रभावित हो रही है। इसका असर प्रत्यक्ष–परोक्ष रूप से दुकानदारों के साथ यहाँ काम करने वाले कर्मियों पर भी पड़ने लगा है। न्यू मार्केट के दुकानदार राजेश अग्रवाल कहते है कि बिक्री कम होने के कारण दुकानदार अपने खर्च में कटौती करने लगे हैं। एसी पर पहले ही अंकुश लगा चुके हैं। अब अपने कर्मियों छटनी करने के साथ लंबी छुट्टियों पर भेजने लगे हैं। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान 12.11.22)**

उधार नहीं बिकेंगी फ्लाई ऐश ईंटें

बिहार फ्लाई ऐश ब्रिक्स एसोसिएशन की बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स में हुई वार्षिक आमसभा में दिनांक 13.11.2022 को 200 से ज्यादा सदस्यों ने एकमत से तय किया कि अब बिहार में उधार पर फ्लाई ऐश की ईंटें नहीं बेची जाएंगी।

एसोसिएशन की वार्षिक आमसभा में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये अध्यक्ष अतुल पाराशर ने कहा कि 10 वर्ष पूर्व जहाँ बिहार में गिने–चुने फ्लाई ऐश ईंट के निर्माता थे वहीं आज इनकी संख्या लगभग बारह सौ है। उन्होंने बिहार के सभी बिजली उत्पादन घरों के अधिकारियों से मांग की कि वहां से निकल रहे उच्च गुणवत्ता के फ्लाई ऐश ईंट के निर्माताओं को अवाध रूप से आपूर्ति की जाए। एसोसिएशन के माहसचिव विकास कुमार ने कहा कि बिहार के एनटीपीसी से निकलने वाली फ्लाई ऐश को नेपाल बांग्लादेश या पूर्वोत्तर के राज्यों में भेज दिया जा रहा है, जिससे बिहार में यह नहीं मिल पा रही है।

एसोाएिशन के उपाध्यक्ष अनीष कुमार ने सरकार से इस उद्योग के सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए नीतियों में परिवर्तन करने की मांग की। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा 14.11.2022)**

पांच वर्षों के अंदर पासपोर्ट बनाने वालों की संख्या डेढ़ गुनी तक बढ़ी

कोरोना का दौर खत्म होने के साथ ही राज्य में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कोरोना के पहले हर माह 24 हजार से 26 हजार तक पासपोर्ट जारी होते थे। कोरोना के कारण 2020 में घटकर यह संख्या 15 हजार हो गयी। लेकिन, कोरोना के बाद यह फिर से बढ़कर 36 हजार के पार पहुंच चुकी है, जो रिकॉर्ड है। इस वर्ष 30 सितंबर तक नौ माह में ही 3.32 लाख पासपोर्ट जारी हो चुके थे। इस प्रकार बीते पांच वर्षों में पासपोर्ट बनावाने वालों की संख्या डेढ़ गुनी बढ़ी है। पटना जिले में औसतन 28 हजार लोग हर माह पासपोर्ट बनवा रहे हैं।

"कोरोना के बाद लोग काम के लिए बड़ी संख्या में बाहर जाना चाहते है। ऐसे में हम उनके पासपोर्ट आवेदन को जल्द–से–जल्द प्रोसेस करने और पासपोर्ट जारी करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ महीनों से हर महीने औसतन 36 हजार से अधिक पासपोर्ट जारी कर रहे है।"

– तविशि बहल पांडेय, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पटना

(विस्तृत : प्रभात खबर, 14.11.2022)

प्रदूषण का शिकार व्यक्ति मुआवजा पाने का हकदार

दिल्ली–एनसीआर ही नहीं, देश के अधिकांश बड़े शहरों के लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, जबकि स्वच्छ हवा में सांस लेना उनका मौलिक अधिकार है। अधिकांश लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि कानून में इस बात का प्रावधान है कि यदि कोई प्रदूषण का शिकार होता है तो उसको सरकार से मुआवजा पाने का अधिकार है। यहाँ हम बता रहें हैं आपके क्या अधिकार हैं ?

स्वच्छ हवा लोगों का मौलिक अधिकार : संविधान के अनुच्छेद –21 के तहत स्वच्छ हवा को लोगों का मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। इसके तहत सरकार की यह जिम्मेवारी तय की गयी है कि वह लोगों को स्वच्छ वातावरण और हवा मुहैया कराए। संविधान के अलावा सर्वोच्च न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी स्वच्छ हवा को लोगों का मौलिक अधिकार बताया है।

याचिका दाखिल कर मुआवजे की मांग : एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 15 में प्रावधान किया गया है कोई भी व्यक्ति यदि जल और वायु प्रदुषण से पीड़ित है तो वह मुआवजा की मांग कर सकता है। हालांकि उन्हें साबित करना होगा प्रदूषण की वहज से उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा है।

शिकायत करने का अधिकार : यदि आप कही भी अपने आसपास ऐसी किसी गतिविधियों को होते देख रहे हैं तो इसकी शिकायत पुलिस, नगर निगम, एसडीएम, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति में शिकायत कर सकते हैं। प्रदूषण फैलाना दंडनीय अपराध है और दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण कानून और अन्य कानून के तहत तीन साल तक कैद की सजा हो सकती है।

"संविधान में स्वच्छ हवा को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया गया, लेकिन आज कई शहरों के लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। यह किसी एक की नहीं बल्कि केन्द्र और राज्य सरकार की विफलता को जाहिर करता है। सरकार का काम कानून बनाना नहीं, बल्कि लागू करने का है। संविधान और कानून में जो अधिकार दिए गए हैं, उसे कागजी नहीं रहने देना चाहिए। सरकार को कानून और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। **– सिताब अलि चौधरी**

पर्यावरण कार्यकर्त्ता और अधिवक्ता, सुप्रीम कार्ट

(साभार : हिन्दुस्तान, 7.11.2022)

पांच रूटों पर चलेंगी 75 नयी सीएनजी बसें

बीएसआरटीसी की सिटी बस सेवा में शामिल होने के लिए 60 नयी सीएनजी बसें शहर में पहुंच चुकी हैं। ये बसें परिवहन मुख्यालय में लगायी गयी है। 15 और सिटी बसें भी अगले दो–तीन दिनों में आ जायेगी। उसके बाद इन बसों का काम शुरू होगा और अगले महीने शहर की सड़कों पर ये दौड़ने लगेंगी। इन बसों का परिचालन शहर और उसके आसपास के पांच रूटों पर किया जाएगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान 11.11.2022)**

उपभोक्ताओं को मिलेगा राइट-टू-रिपेयर अधिकार

रिपेयरिंग पर अंधेरे में नहीं रख सकेंगी कंपनियां

• घरेलू वस्तुओं के साथ कृषि मशीनरी भी राइट टू रिपेयर के दायरे में आएंगे • होम अप्लायंसेस इलेक्ट्रानिक्स व कृषि उपकरण कंपनियों की अनिवार्य रूप से देनी होगी जानकारी

आपका टीवी, आरओ सिस्टम अथवा कोई अन्य उपकरण खराब हो तो उसकी रिपेयरिंग और मेंटिनेंस को लेकर कंपनियां अब आपको अंधेरे में नहीं रख सकती हैं। राइट टू रिपेयर के तहत आपको ऐसे अधिकार मिलने जा रहे हैं, जिसमें घरेलू इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस के साथ कृषि उपकरणों को बेचने वाली कंपनियों को इन सामानों के रख–रखाव और रिपेयरिंग की पूरी प्रकियागत जानकारी देनी होगी। इसके लिए दो दर्जन से अधिक कंपनियों को नोटिस जारी कर समय से पूरा ब्यौरा देने को कहा गया है। उपभोक्ताओं के खरीदे उपकरणों के बारे में संबंधित कंपनियों को पूरा विवरण उपलब्ध कराना होगा, जिसमें उनके खराब होने के बाद उनकी मरम्मत केन्द्रों के साथ उसमें लगने वाले वैकल्पिक उपकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी देनी होगी। इस तरह की सारी जानकारी कंपनी को अपनी वेबसाइट पर देने के साथ केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय को इसका लिंक देना होगा। **(विस्तृत : दैनिक जागरण 2.11.2022)**

फारबिसगंज रेल मार्ग से इसी माह जुड़ जाएंगे कोसी और मिथिलांचल

• नरपतगंज–पफारबिसगंज आमान परिवर्तन कार्य का 20 को होगा सीआरएस निरीक्षण • 14 साल बाद पफारबिसगंज से रेल मार्ग के जरिये जुड़ेगा सहरसा • नवंबर अंतिम या दिसंबर से चालू हो जायेगा रेलखंड • कम खर्च पर फारबिसगंज पहुंच नेपाल बॉर्डर के पास पहुंच नेपाल बॉर्डर के पास पहुंच जाएंगे कोसी व मिथिला के लोग

कोसी ओर मिथिलांचल इसी माह फारबिसगंज से रेल नेटवर्क से जुड़ जायेगा। नवबंर के अंत तक या दिसंबर से अंतराष्ट्रीय महत्व वाले रेलखंड के नरपतगंज–फारबिसगंज तक ट्रेन दौड़ाने की योजना है। पहले इस साल के अंत तक इस रेलखंड को जोड़ने की बात कही जा रही थी। फिलहाल 20 नवंबर को नरपतगंज–फारबिसगंज (16 किमी) आमान परिवर्तन कार्य का ईस्टर्न सर्किल कोलकाता के सीआरएस के निरीक्षण की संभावित तिथि तय की गई है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.11.2022)**

सख्ती : पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान नवम्बर से

• राजधानी की यातायात व्यवस्था सुगम बनाने की कवायद • पहले अधिकारी कराएंगे माइक से घोषणा, आयुक्त ने अफसरों को दिये निर्देश

राजधानी में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान दिनांक 14.11.2022 से शुरू किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अतिक्रमणकारियों पर कारवाई भी की जाएगी। प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिक्रमण हटाओ अभियान की रूप –रेखा तय की गई। आयुक्त ने डीएम, एसएसपी तथा नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को 14 नवंबर से अतिक्रमण हटाने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जाएगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान 12.11.2022)**

बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पत्रांक- 436 दिनांक 30.08.2022 के संदर्भ में नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर से प्राप्त पत्र की प्रति माननीय सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है।

कार्यालय नगर निगम, मुंगेर
पत्रांक 153 / क. सं.

प्रेषक,

निखिल धनराज निप्पाणीकर, भा. प्र. से.
नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर।

सेवा में,

परियोजना पदाधिकारी – सह–अपर निदेशक
नगर पालिका निदेशालय,
बिहार, पटना।

मुंगेर, दिनांक 13.10.2022

विषय : Professional Tax एवं Trade Tax के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग : पत्रांक–सं. सं. –11 न. वि. / विविध- 13/2022/2743 न. वि. एवं आ. वि. पटना दिनांक 12.09.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रांक के संबंध में कहना है कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पत्रांक- 436 दिनांक 30.08.2022 के आलोक में मेसर्स बिल्डर्स स्टोर्स, नीलम रोड, मुंगेर द्वारा Professional Tax एवं Trade Tax के अंतर के संबंध में जानकारी मांगी गयी है। उक्त टैक्स के संदर्भ में विन्दुवार अंकित करना है कि:–

1. Professional Tax वेतन भोगी कर्मियों पर राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है जिसकी कटौती नियोक्ता द्वारा की जाती है।
2. जहाँ तक Trade Tax का प्रश्न है, यह कर स्थानीय नगरपालिका द्वारा लागू किया जाता है जो व्यवसायी के वार्षिक Trunover पर निर्धारित होता है। वर्तमान में मुंगेर नगर निगम द्वारा Trade Tax का आरोपण नहीं किया जा रहा है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन
ह०/–13.10.2022
नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर

ज्ञापांक : 11 न. नि. /विविध- 13/2022–3440/न. वि. एवं आ. वि./ पटना दिनांक : 1.12.2022

प्रतिलिपि : श्री अमित मुखर्जी, महामंत्री, बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को उनके पत्रांक – 436 दिनांक- 30.08.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–13.10.2022
परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय।

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296